खण्ड-06 सत्र -08 (भाग-01) / अंक-99

मंगलवार 26 फरवरी, 2019 / 07 फाल्गुन, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

आठवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-08 (भाग-01) में अंक 96 के अंक 101 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र–8 (भाग–01) मंगलवार, 26 फरवरी, 2019/7 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–99

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	बधाई प्रस्ताव (जम्मू–कश्मीर सीमा पर नियंत्रण रेखा पार करके हवाई हमले से आतंकी कैम्पों को नष्ट करने पर वायु सेना को हार्दिक बधाई)	3–4
3.	सदन में अव्यवस्था	5–14
4.	वार्षिक बजट 2019–20 का प्रस्तुतीकरण	15–95
5.	अनुदानों की पूरक मांगे 2018–19	96–104

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–8 (भाग–01) मंगलवार, 26 फरवरी, 2019/7 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–99

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान

19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
24. श्री जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. सुश्री भावना गौड़
32. श्री सुरेन्द्र सिंह
33. श्री विजेन्द्र गर्ग
34. श्री प्रवीण कुमार
35. श्री मदन लाल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
39. श्री करतार सिंह तंवर
40. श्री प्रकाश
41. श्री अजय दत्त
42. श्री दिनेश मोहनिया
43. श्री सौरभ भारद्वाज
44. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
45. श्री सही राम
46. श्री नारायण दत्त शर्मा
47. श्री अमानतुल्लाह खान
48. श्री राजू धिंगान
49. श्री मनोज कुमार
50. श्री नितिन त्यागी
51. श्री ओमप्रकाश शर्मा
52. श्री एस. के. बग्गा
53. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
54. श्रीमती सरिता सिंह
55. मो. इशराक
56. श्री श्रीदत्त शर्मा
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री जगदीश प्रधान
59. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–8 (भाग–01) मंगलवार, 26 फरवरी, 2019/7 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–99

सदन प्रातः 11.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

बधाई

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण!

यह अत्यधिक गौरव का विषय है कि भारतीय वायु सेना ने जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार करके कई आतंकी कैम्पों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। समाचार एजेंसियों के अनुसार भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के 12 विमानों के समूह ने आतंकी कैम्पों पर बमबारी की और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। विशेष बात यह है कि इस हमले में वायु सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई हताहत हुआ। इस साहसिक और ऐतिहासिक कार्रवाई के लिए मैं भारतीय वायु सेना को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

वायु सेना हमारे देश का गौरव है और इसकी बहादुरी, प्रतिबद्धता और समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जिस वीरता और साहस की आवश्यकता थी, उसका परिचय आज वायु सेना ने दिया है।

इस अवसर पर मैं भारतीय वायु सेना के सम्मान में इन ओजपूर्ण पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा :

'जांबाज हम चले, छूने आसमान चले
अपनी तो बस, यही उड़ान है
बड़ी शान से चले, अभिमान से चले
अपनी तो, बस यही पहचान है।'

एक बार फिर भारतीय वायु सेना सहित सम्पूर्ण भारतीय सेना को हार्दिक बधाई!

इस समय पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और सेना के साथ खड़ा है।

अब सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर इस साहसिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना का अभिनंदन करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः खड़े होकर बधाई। आप बैठ जाइए प्लीज।

(भाजपा के सभी सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन तक आये।)

...(व्यवधान)

सदन में अव्यवस्था

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): स्टेंडिंग ओवेशन दिया जाता है भई। अरे भाई! सम्मान में खड़े हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, कुछ शर्म करिए, स्टेंडिंग ओवेशन होता है। हमेशा स्टेंडिंग ओवेशन होता है। आप बोल रहे हो ना, हमेशा स्टेंडिंग ओवेशन होता है। ठीक है, बैठिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी। देखिए विजेन्द्र जी, एक बार बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आदर सहित प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, प्लीज। आपने खड़े होके बधाई पे कहा हमेशा स्टेंडिंग ओवेशन होता है। सुधार करिए। स्टेंडिंग ओवेशन

हमेशा होता है। कोई बड़ा–बुजुर्ग आता है। बड़ा बुजुर्ग कोई आता है तो खड़े होके उसका स्वागत करते हैं। बैठिए जाइए अब। भारतीय संस्कृति ये ही सिखाती है। बैठिए, मुझे मालूम है। बैठ जाइए प्लीज। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं किसी को... जो सदन की परंपरा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं छोड़ दीजिए आप। बोलते रहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किसको दी है? न मैंने सबको सदन की ओर से दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः ये इतनी बड़ी जीत हुई है अध्यक्ष जी, हमारी बात सुनके आप स्वीकार, सुन तो लीजिए। आज ये देश की इतनी बड़ी जीत हुई है, आपको उसपे रोना आता है।

माननीय अध्यक्षः मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। आप तो शांति से बैठो। हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं। बधाई संदेश

दिया हमने, पूरा बधाई संदेश। अब मिठाई ले आओ बाँटो। हम भी लाएँगे, हमको फिर कब मिठाई बांट रहे हैं? हम दोपहर को मिठाई बाँट रहे हैं। बैठिए, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बधाई दिलवाइए।

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं, मैं विजेन्द्र जी, ये चीज मैं... आज बजट सेशन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बिल्कुल नीची आवाज में बात करिए। ये उंगली दिखा के बात मत करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप धमकी मत दीजिए उंगली दिखा के बात कर रहे हैं। आपको तहजीब नहीं है। आपको बात करने की तहजीब नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नेता विपक्ष की मर्यादा रखिए। बैठ जाइए, वहाँ जाकर।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज बजट सेशन है। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा प्लीज। हाँ, प्लीज मैं कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः मैं कुछ नहीं उसमें करूँगा। ये अगर आना था। देखिए ये अगर आना था... एक तो सदन में लेट आए हैं। ये देना था, मेरे कमरे में देना था। मैं एडजस्ट करवाता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, तो लेट हो गए अब क्या करूँ? आई वाज...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं। अब नहीं प्लीज।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः चलिए, माननीय सदस्यगण! माननीय सदस्यगण! बैठेंगे अपने स्थान पर।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ।

डिसअलाउड। 100 परसेंट डिसअलाउड। न बिल्कुल नहीं, मैं कोई डिस्कशन अलाउ नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठ जाइए बिल्कुल। मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा। मैं न उधर से अलाउ कर रहा हूँ, न इधर से अलाउ कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। मैंने दे दिया पूरे सदन की ओर से दे दिया और बहुत अच्छे शब्दों में दी।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः प्लीज बैठिए। नहीं, मैं कोई प्रस्ताव नहीं, मैं कोई प्रस्ताव नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे पास समय से आता, मैं बात करता। न मेरे पास समय से नहीं आया। मेरे पास समय से नहीं आया। मेरे पास आता तो मैं बात करता। नहीं बिल्कुल नहीं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः बैठिए। माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना कर रहा हूँ आज बजट सेशन है, समय खराब हो रहा है। बैठिए प्लीज।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए।

(पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी की)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, इधर बात करिए आप। विजेन्द्र जी इधर बात करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, प्लीज। सदन का समय रोज रोज आपकी आदत हो गई है। रोज विपक्ष की आदत हो गई है। बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, नितिन जी बैठिए प्लीज।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः देखिए सिरसा जी, मुझे मजबूर मत करिए। मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। मैं बहुत सहन कर रहा हूँ। मैं बोलूँ, फिर बोलूँ मैं? मैं बोलूँ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष: नितिन जी, जरा बैठ जाइए प्लीज। नितिन जी, बैठिए। नितिन जी, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठें। भई उनको छोड़ दीजिए आप। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नितिन जी, बैठ जाइए। बैठिए—बैठिए। ये बहस मत करिए, वो बैठेंगे। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठें। नितिन जी, बैठिए प्लीज। सभी माननीय सदस्य बैठें। मैं माननीय विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी कुर्सी पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप एक बार कह दो स्पीकर साहब, आप ये कि चार लोग बधाई देने का राइट नहीं है। एमएलओ को, सेना को बधाई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बोल दिया आपने? अब मेरी बात सुनेंगे?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सेना को यहाँ पे बधाई देने का राइट नहीं, हम जाके बैठ जाएँगे।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी हाँ, सुनेंगे। बोलो ना।

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं ये क्यों बोलूँगा? आप जो कान में डालेंगे, वो बोलूँगा? सेना को बधाई दी है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः कमाल है!

माननीय अध्यक्षः मैं इसीलिए समय नहीं दे रहा। आप मजबूर कर रहे हैं। आप जब सेना को बधाई दी जा रही थी, आप मोदी जिन्दाबाद के नारा लगा रहे थे। मोदी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे,

इसलिए मैं समय नहीं दे रहा। आप वायु सेना को बधाई नहीं दे रहे थे। आप वायु सेना को बधाई नहीं और मोदी जी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसलिए आज यहाँ मोदी जिन्दाबाद के नारे लगा... आपने मोदी जिन्दाबाद के नारे। आपने बोला क्या? 'मोदी जिन्दाबाद' पढ़ लिया मैंने। आप मोदी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं यहाँ खड़े होकर और मुझसे कहते हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः आप पढ़िए हमारा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे मार्शल्स बुलाने पड़ेंगे। मुझे मार्शल्स बुलाने पड़ेंगे। मैं बधाई देने का समय देता। पर आपने सारी सीमाओं को लाँघा। वायुसेना को बधाई देने की बजाए आपने मोदी जिन्दाबाद बोला। मोदी जिन्दाबाद बोला, मोदी जिन्दाबाद बोला। इसके लिए माफी माँगिए। पहले इसके लिए माफी मांगिए। आप इसके लिए प्रस्ताव को छोड़ दीजिए। आपने मोदी जिन्दाबाद बोला, माफी माँगिए इसके लिए। माफी मांगिए, इसके लिए मैं समय दूँगा। मैं समय दूँगा, बधाई देने के लिए? आपने मोदी जिन्दाबाद बोला। वायुसेना जिन्दाबाद नहीं बोला। मार्शल्स बाहर करें। बिल्कुल नहीं। वायुसेना को बधाई नहीं दे रहे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप सदन का... हाँ, मैं इसीलिए बाहर कर रहा हूँ बहुत बर्बाद समय कर दिया। ठीक है, आप जाइए। जो मर्जी

आए करिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। बाहर करिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं अलाउ कर रहा। डिसअलाउ कर रहा हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ ओम प्रकाश जी।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः पूरे सदन की ओर से अभिनंदन किया होता है। मैं विचार भी कर सकता था। लेट आए और आने के तुरंत बाद जैसे ही मैंने बोला, मोदी जिन्दाबाद के नारे लगाये। ये मुझे उचित नहीं लगता, वायुसेना के जिन्दाबाद लगाते तो अच्छी बात थी।

आज दिल्ली सरकार शिक्षा में हुए सुधारों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये बात ठीक है कि शिक्षा में दिल्ली सरकार ने 26 प्रतिशत बजट रखकर इन ऊँचाइयों को छुआ लेकिन दिल्ली के अध्यापकों के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है। इनकी लगन और मेहनत की मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ और सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। क्यों उन्हीं अध्यापकों में से लगभग 24 अध्यापक शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार के निमंत्रण पर सदन की कार्यवाही

देखने आए हुए हैं। ये उन अध्यापकों में से चुने हुए हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल किया है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएँ—बध ाई देता हूँ।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप—मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2019—20 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

(वार्षिक बजट 2019—20)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश के लिए हर देशभक्त के लिए बेहद गर्व का दिन है। जिस तरह से हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की कायरतापूर्वक कार्रवाई का जवाब देते हुए उनके घर में घुसकर जवाब दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मौके पर इस सदन ने बेहद सम्मान के साथ उन तमाम सैनिकों को जो आज सुबह की इस कार्यवाही में शामिल हुए और उन तमाम सैनिकों को जो आजादी के बाद से हिन्दुस्तान की सरहदों पर अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, उनको आज स्टैण्डिंग ओवेशन दिया है, उसके लिए मैं इस सदन को बहुत—बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2019–20 के बजट प्रस्ताव इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं लगातार पाँचवीं बार अपनी सरकार का ये बजट इस सम्मानित सदन में पेश कर रहा हूँ।

ये मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए, इस सदन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि चार साल पहले दिल्ली की जनता ने हमें यहाँ भेजा था, इसलिए नहीं कि यहाँ पर आकर हम इन कुर्सियों से चिपककर बैठें, इन कुर्सियों पर बैठकर अहंकार महसूस करें, इन ताकतवर कुर्सियों पर आकर अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करें बल्कि जनता ने हमें एक मिशन पर भेजा था यहाँ पर चार साल पहले। उसका मेन्डेट साफ था जनता का यहाँ भेजने के पीछे। जनता जानना चाहती थी, जनता कहना चाहती थी कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वो रोशनी पहुँचेगी कितने साल में, इस मेन्डेट के साथ हमको यहाँ भेजा गया था और ये सवाल सिर्फ दिल्ली के नागरिकों का नहीं है, किसी एक प्रोफेशन से जुड़े लोगों का नहीं है। ये सवाल उन सैनिकों का भी है जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। ये उन सैनिकों का भी है, उन शहीदों का भी है जो देश की रक्षा करते–करते शहीद हो गये कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में वो सरहद पर खड़ा सैनिक भी सोच रहा है अध्यक्ष महोदय, कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, मेरे गाँव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में? उसका सवाल भी है। तमाम जनता ने मिलकर हमें यहाँ भेजा था। मैं पिछले पाँच

साल से लगातार हर बार ये कहता हूँ और आज भी दोहराना चाहूँगा कि हमारी सरकार के लिए बजट तैयार करने का मतलब है दिल्ली के आम आदमी के सपनों को सच करने में सरकार की भूमिका को तय करना। हमने बार–बार कहा है, हम लड़े हैं इसके खिलाफ। इसका परिणाम भी हमने झेला है लेकिन फिर भी कहा है क्योंकि जिन फाइलों का जिक्र जनता के मन में है, जिन फाइलों का जिक्र सरहद पर बैठे हुए सेना के जवान के मन में भी है कि उसके पिता दिल्ली की किसी कालोनी में, देश की किसी कालोनी में जहाँ रहते हैं, वहाँ उनका घर कैसा है, उनका परिवार कैसा है। उसके मन में भी वो सवाल हैं जिसके मेन्डेट लेकर यहाँ भेजा गया। सब पूछ रहे हैं और सब कह रहे थे और हमने जब यहाँ आकर चार साल से इस बात को कहना शुरू किया तो हमने विरोध भी झेला, तमाम तरीके से। हमने आकर खुलकर कहा यहाँ पर कि तुम्हारे गाँव का मौसम जो गुलाबी है, ये आँकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। हमने हर बजट में लगातार सरकार की फाइलों को, गलती को, इन फर्जी गुलाबी मौसम को ठीक करने की कोशिश की है। आज ये बजट मैं ऐसे समय पेश कर रहा हूँ जब पूरा देश कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई से हर देशवासी का सीना गर्व से फूला हुआ है। इसके पहले कश्मीर के पुलवामा और अन्य हिस्सों में सीआरपीएफ के और सेना के जवानों की शहादत को देश ने नमन किया है। मैं आज इस सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये बजट शहीदों के सपनों को पूरा करने

का बजट है। देश की रक्षा में जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनकी आँखों में जिस राष्ट्र की रक्षा का सपना रहा है, ये बजट उसी राष्ट्र के निर्माण का बजट है। साथ ही जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, मां बाप को अच्छा इलाज मिल सके और परिवार को बेहत्तर सामाजिक सुरक्षा मिल सके, ये बजट उन शहीदों के अपने परिवार और देश को लेकर देखे गये सपनों को सच करने का बजट है अध्यक्ष महोदय। चार साल पहले अपने पहले ही बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी काम के जरिए राष्ट्र के निर्माण का जो संकल्प हमने लिया था, वो लगातार चार साल से जारी है। मुझे यकीन है कि हमारी सरकार का पाँचवाँ बजट भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये महज बजट नहीं है, आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों का सपना है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 70 साल बाद ही सही, आजादी के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों के सपनों के राष्ट्र का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जहाँ अच्छी शिक्षा कुछ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, अमीर–गरीब सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। ये देश को जोड़ने वाला बजट है, अध्यक्ष महोदय, देश को तोड़ने वाला बजट नहीं है। इस बजट की योजनाओं का फायदा दिल्ली के हर गरीब और हर मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा न की चंद रसूखदार पूंजीपतियों को।

अध्यक्ष जी, विस्तृत बजट प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं पिछले चार साल के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। चार साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी तब मैंने पहले ही बजट में कहा था कि हमारे लिए हमारा चुनावी घोषणा पत्र कोई जुमलों का पिटारा नहीं है बल्कि हमारे लिए चुनावी घोषणा पत्र एक पवित्र पुस्तक की तरह है। जिसे सरकार के हम सभी मंत्री लगातार पढ़ते हैं और अपने रोजाना के काम में इस बात का लगातार आत्ममंथन और मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ हैं, हमने अभी तक क्या हासिल किया और आने वाले समय में दिल्ली के नागरिकों के लिए क्या–क्या किया जाना है। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 70 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्य करने का संकल्प लिया था। मैं इस सदन का थोड़ा सा समय इन 70 बिन्दुओं में से प्रमुख पर सरकार की उपलब्धियों की ओर दिलाना चाहूँगा। इन 70 बिन्दुओं में सबसे ज्यादा ज़ोर हमने चार साल पहले निम्नलिखित क्षेत्रों पर दिया था:

- सरकारी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना।
- सरकारी स्कूलों में बेहत्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर देना और नये स्कूल बनवाना।
- प्राइवेट स्कूलों की फीस और एडमिशन में मनमानी पर लगाम लगाना।

- हायर एजुकेशन के अवसर बढ़ाना और छात्रों को लोन की सुविधाएँ देना।
- खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएँ और पर्याप्त धन की व्यवस्था करना।
- दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कालोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- टैंकर माफिया को खत्म करना।
- पानी के दिल्ली के अपने स्रोत बढ़ाना।
- बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ देना।
- किसानों की आय बढ़ाना और उनकी जमीन की सही कीमत दिलवाना।
- गाँवों के विकास को सरकार के फोकस में लाना।
- सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना।
- समाज में हाशिये पर पड़े लोगों के जीवन में गरिमा लेकर आना।
- सफाई कर्मचारियों के जीवन को गरिमामय बनाना।
- बिजली के महंगे बिलों से जनता को राहत दिलवाना।

- दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- दिल्ली में टैक्स रेट कम करके और रेड राज खत्म करके व्यापारियों को राहत देना।
- इसके साथ साथ दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का विकास करना। झुग्गी से लेकर बड़ी–बड़ी कालोनियों में सुरक्षा विशेषकर महिला सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- पूरी दिल्ली को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण करना।
- गरीब झुग्गीवासियों के लिए घर की व्यवस्था करना।
- बेहत्तर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ देना।
- दिल्ली में वाईफाई लगवाना और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना।

मुझे कहते हुए बहुत खुशी है अध्यक्ष महोदय, कि चार साल पहले दिल्ली की जिन जरूरतों और सपनों को हमने मेनिफेस्टो के रूप में जनता के सामने रखा था, उनमें से अधिकांश पर काम हो चुका है या हो रहा है और कुछ पर अगले एक साल में काम होना है। इन चार सालों में हमने बहुत बार और लगातार लगभग लगातार जब–जब हमने इन कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि

इनमें से बहुत सारी चीजें आउट ऑफ दा बॉक्स हैं। बहुत सारी चीजें यूनीक हैं जो पहले नहीं हुई थी। हर बार जब कोशिश की गई तो उस काम को भी रोकने की कोशिश की गई। आज भी जब इस पूरे सदन ने खड़े होकर उन जांबाज सैनिकों को सलाम किया, उनके साहस को, उनके जज्बे को सलाम किया तो यहाँ से भी वह मैसेज अलग तरीके का जाए उस मैसेज को डायवर्ट करने की कोशिश की गई। जब–जब देश के लिए, जनता के लिए कुछ काम करने की कोशिश की गई, तब तब उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किः

भले ही बुझाने की जिद्द पर हवा अड़ी हुई है,
मगर चिराग की लौ अभी भी बढ़ी हुई है।'

सदन की जानकारी में है अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर मैं रिकॉर्ड के लिए दोहराना चाहूँगा कि सरकार बनते ही सबसे बड़े कदमों से जो पहला कदम उठाया गया था, वो दिल्ली वासियों को महंगे बिजली के बिलों से राहत दिलाना। फरवरी में सरकार बनी थी और मार्च 2015 मे ही बिजली के दाम आधे कर दिये गए थे। एक महीने के अंदर–अंदर। चार सौ यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल सरकार बनने के अगले महीने से आधे आने लगे और मुझे बताते हुए गर्व है कि आज देश के महानगरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार पिछले चार साल से बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होने देने में भी सफल रही है।

बिजली की कीमतें आधी करने का फायदा पिछले चार साल से दिल्ली के 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस के साथ ही 1984 के सिक्ख विरोधी जन संहार के शिकार लोगों को घरेलू बिजली उपयोग पर शत–प्रतिशत सब्सिडी और सभी बकाया बिलों के भुगतान से छूट की विशेष योजना भी लागू की गई है। किसानों को भी 105/– रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह की निर्धारित दर से छूट दे दी गई हैं।

दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत घरों, दफ्तरों और सोसाइटी की छतों पर संयत्र लगाए जा रहे हैं। ये योजना दिल्ली में काफी लोकप्रिय हो रही है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल में एक अन्य योजना 'मुख्य मंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी सोलर योजना' की शुरूआत की है और मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली में कुल रेनुअल एनर्जी उत्पादन 2015–16 के 23 मेगावाट से बढ़ कर इस साल 177 मेगवाट हो गया है। इसमें 125 मेगावाट की सोलर एनर्जी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, पीने के साफ पानी की कमी, अनाप–शनाप पानी के बिल और टैंकर माफिया के हाथों शोषण चार साल पहले दिल्ली के निवासियों की एक बड़ी समस्या थी। सरकार बनते ही 20 हजार लीटर प्रतिमाह तक पानी इस्तेमाल करने वाले परिवारों को मुफ्त पानी देने का निर्णय लिया गया था और पिछले चार साल से

लगातार ऐसे परिवारों के पानी के बिल जीरो आ रहे हैं। इस योजना का फायदा 13 लाख 67 हजार परिवारों को मिला है।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना की वजह से दिल्ली के लोगों में पानी बचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। 2015 में इस योजना को लागू करने के पहले पाँच लाख परिवार ऐसे थे जो 20 हजार लीटर प्रतिमाह से कम पानी खर्च करते थे लेकिन अब से संख्या बढ़ कर 13 लाख 67 हजार हो गई है। मात्र चार साल में क्योंकि 20 हजार लीटर से ज्यादा जो लोग पानी खर्च करते थे, पहले पाँच लाख उनकी संख्या थी, अब वो 13 लाख 67 हजार ऐसे परिवार हो गए हैं जो 20 हजार लीटर से कम महीने में अपना काम पूरा कर रहे हैं। सरकार ने पिछले चार साल में 406 ऐसी कालोनियों को पीने के पानी के नेटवर्क से जोड़ा है जहाँ तक अभी तक पानी का नेटवर्क नहीं था। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। लोग टैंकरों से पानी लेने को मजबूर थे। इसमें द्वारका जैसी कालोनियाँ भी प्रमुख रूप से शामिल हैं जहाँ 2015 तक पीने का पानी नहीं पहुँचता था। दिल्ली की 142 अनाधिकृत कालोनियों में पानी के पाइप लाइन का नया नेटवर्क डालने का काम चल रहा है। इन कालोनियों को भी मार्च 2020 तक टैंकर से पानी लेने की मजबूरी से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार 345 अनाधिकृत कालोनियों में पिछले चार साल में सीवर डालने का काम पूरा किया गया है और 355 कालोनियों में काम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पानी के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए पिछले चार साल में कुछ बुनियादी काम किये गए हैं और अगले कुछ वर्षो में माँग से अधिक पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसका जिक्र मैं अगले बजट में अलग हिस्से में करूँगा।

बिजली के बिल आधे करने और पीने का पानी मुफ्त देने का वायदा सरकार ने आते ही पूरा किया लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे जो क्षेत्र हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से तारीफ हो रही है। देश और विदेश के लोग आकर ये देख रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करके राष्ट्र का निर्माण सही मायने में कैसे किया जा सकता है। दिल्ली सरकार देश की एक मात्र ऐसी सरकार है जो पिछले चार साल से लगातार शिक्षा क्षेत्र में अपने बजट का एक चौथाई भाग खर्च कर रही है। इक्कीस नए स्कूल बनवाना, आठ हजार से ज्यादा नए शानदार क्लास रूम बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और करीब 12 हजार 746 क्लास रूम तेजी से बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पहली बार प्राइमरी क्लास के हर सैक्शन के लिए लाईब्रेरी बनाई गई है और इनकी संख्या लगभग 4178 से ज्यादा है।

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी को रोकना, पिछले चार साल में शिक्षा के क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। प्राइवेट स्कूलों के खातों की सघनता से जाँच करना और उन्हें फीस बढ़ाने से रोकना एक कठिन लेकिन जरूरी कदम था। जो ईमानदार

और समर्पित राजनैतिक इच्छा शक्ति के चलते सम्भव हुआ। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस और एडमिशन प्रोसेस दो ही मेन हैं जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और इतना ही नहीं, 2015 से पहले बहुत से प्राइवेट स्कूलों ने खूब मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई थी और कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी हुई फीस लौटा नहीं रहे थे। सरकार के सख्त रवैये के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी बढ़ी हुए फीस वापिस करनी पड़ी। यहाँ तक कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई करके स्कूलों से चले गए थे, उन्हें भी ज्यादा फीस जो वसूली गई, फीस बढाकर ली गई थी, वो लौटवाई गई। इससे दिल्ली के लाखों अभिभावकों को राहत मिली है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब और उपेक्षित परिवारों के लिए 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑन लाइन कर दी गई। पहले इसमें स्कूल की मनमानी या सिफारिश पर ही दाखिल होते थे। लेकिन अब पूरा सिस्टम पारदर्शी और ऑन लाइन कर दिया गया है। इसके चलते प्राइवेट स्कूलों में अब आरक्षित सीटों की संख्या 23 हजार से बढ़ कर 32455 हो गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार न सिर्फ अपने मैनिफैस्टो में किये गए वादे पूरे कर रही है बल्कि मैनिफैस्टो से कहीं आगे बढ़ कर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी।

आपने शिक्षकों का जिक्र किया। सिंगापुर, फिनलैंड, ब्रिटेन आदि देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में अध्यापको की ट्रेनिंग कराना, देश

विदेश के बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों के दौरे कराना, आयाम जैसे संस्थाओं में प्राधानाचार्यो को ट्रेनिंग दिलवाना, सभी शिक्षकों के लिए कम्प्यूटर टेब्लेट की व्यवस्था करना, मेगा पैरेंट टीचर मीटिंग बुलाना, स्कूल मैनेजमैंट कमिटी को प्रशासनिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रिसिंपल और अध्यापकों की स्कूल चलाने में भागीदारी को बढ़ाना; ऐसे बहुत सारे सुधार हैं जो शिक्षा क्षेत्र में लम्बे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी और अपनी निचली कक्षाओं की किताबें ठीक से न पढ पाने की समस्या देश भर में रही। दिल्ली सरकार ने 'चुनौती' और 'मिशन बुनियाद' जैसे कार्यक्रम चलाकर इसका समाधान दिया है। इन तमाम प्रयासों की बदोलत दो साल से लगातार सरकारी स्कूलों के बारहवीं क्लास का रजल्ट प्राइवेट स्कूलों से आगे चल रहा है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में जेई मेन्स में पास होने लगे हैं। नर्सरी से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए 'हैप्पीनेस कार्यक्रम' शुरू करना और नौवी से बारहवीं के लिए इन्टरप्रैन्योरशिप कार्यक्रम शुरू करना, दो ऐसे बड़े कदम हैं जो आने वाले समय में देश में ही नहीं, दुनिया भर के शिक्षा में बड़े सुधारों में गिने जाएँगे। बिना किताब और बिना परीक्षा के बच्चों के पढ़ाने के इन प्रयोगों को दुनिया भर में बड़ी जिज्ञासा से देखा जा रहा है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा के जरिये राष्ट्र निर्माण का प्रयास सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के बच्चों को बेहत्तर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने में

भी पिछले चार साल में रिकॉर्ड काम हुए हैं। 2015 की तुलना में 2018 तक के दौरान दिल्ली में उच्च और टैक्निकल एजुकेशन संस्थानों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में 12 हजार की बढोत्तरी हो चुकी है। पहले मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ढ़ाई लाख बच्चे हमारे स्कूलों से पास होते हैं और उनको हॉयर एजुकेशन में, टैक्निकल एजूकेशन में जगह नहीं मिलती। पिछले चार साल में 12 हजार नई सीट क्रिएट हो चुकी हैं। इन बच्चों के लिए इस दौरान फार्मास्युटिकल युनिवर्सिटी दिपसारू और एनएसयूटी के रूप में दो नई यूनिवर्सिटीज हमारी सरकार ने शुरू की है। पीडीटीयू का एक नया कैम्पस पूर्वी दिल्ली में और अम्बेडकर युनिवर्सिटी के दो नए कैम्पस वैस्टर्न दिल्ली और न्यू दिल्ली में शुरू कर दिये गए हैं। साथ ही नए नौ बी. वॉक कॉलेज भी दिल्ली में खोले गए हैं। विवेक विहार स्थिति वल्ड क्लास स्किल सैंटर की सफलता के बाद छः और नए स्किल सैंटर शुरू हो चुके हैं और 19 अगले साल में शुरू हो जाएँगे। इसके साथ ही एससीईआरटी के अधीन बीएड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। दिल्ली का कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपने पढ़ाई बीच में न छोड़े, इसके लिए छात्र को दस लाख रुपये तक के लोन की गारंटी की योजना सरकार ने शुरू की है। खुशी की बात है कि इसका लाभ गरीब और अमीर वर्ग के छात्र छात्राएँ उठा रहे हैं। बेहद गरीब परिवार के बच्चों के लिए 100 फीसदी तक की फीस माफी की योजना भी सरकार ने शुरू की है।

ये सारी ऐसी चीजें है जिनका जिक्र मैनिफैस्टो में भी नहीं था, उसके बावजूद सरकार ने इनकी जरूरतों को समझा और आगे बढ़कर किया।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई ऐसी योजनाएँ शुरू की गई हैं जो आने वाले समय में देश को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरकारी स्कूलों में उपलब्ध ग्राउंडस और खेल सुविधाओं को शाम के समय आस–पास के खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को उपलब्ध कराना। जो स्कूल ग्राउंड स्कूल के समय के बाद खाली पड़े रहते थे। अब शाम को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वहाँ पर शानदार खेल प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया है।

सरकार ने भावी और होनहार खिलाड़ियों के लिए प्ले ऐण्ड प्रोग्रेस और वर्तमान खिलाड़ियों के लिए 'मिशन एक्सिलेंस' नाम से दो योजनाएँ शुरू की है। ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वालों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर तीन करोड़, दो करोड़ और एक करोड़ रुपये कर दी गई है। मुझे आपसे ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है अध्यक्ष महोदय कि 2018–19 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में दिल्ली के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और इस साल एक हजार पदक हमारे विद्यार्थियों ने जीते। दिल्ली इन खेलों में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा।

ये सब हमारे दिल्ली की पिछले चार साल की उपलब्धियों का मैं जिक्र करने रहा हूँ। शिक्षा के साथ–साथ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ देना भी दिल्ली के आम नागरिक की जरूरत है।

हमने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध कराना, रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराना और डाक्टर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ये हम सरकार में सुनिश्चित करेंगे। पिछले चार साल में सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करते हुए इन से कहीं आगे के लक्ष्यों पर बढ़ गयी है। 189 मोहल्ला क्लिनिकों में रोजाना 17 हजार लोगों को मुफत इलाज रोजाना मिल रहा है। 189 मोहल्ला क्लिनिक्स में, इनमें दवाइयाँ और टेस्ट की सुविधा फ्री मिल रही हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या दोगुनी की जा रही है, सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ और टेस्ट सुनिश्चित कर दिए गए हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर टेस्ट सर्जरी या डॉयलिसिस जैसी चीजें सरकारी अस्पतालों में इनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है तो हमारी सरकार अपने नागरिकों का इलाज सरकारी खर्चे पर प्राईवेट अस्पतालों में भी कराने की एक नयी प्रथा इन्होंने शुरू की है। वाकई जिसकी बहुत चारों तरफ तारीफ हो रही है।

अध्यक्ष जी, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास का मतलब सिर्फ कुछ चमचमाती हुई इमारतें और सड़कें बनाना नहीं होता। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके शहरों में बनी हुई इमारतों की उंचाई से

नहीं बल्कि उसके नागरिकों के जीवन जीने के स्तर की ऊँचाई से नापा जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब सरकार की नीतियों में अलग थलग पड़े और उपेक्षित समूहों को आगे लाने की प्राथमिकता दी जाए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद की जाए। हमारी सरकार ने समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों की आय बढ़ाने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनसे वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें। यहाँ ये इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि आय कैसे बढ़े लोगों की, लोगों की इनकम कैसे बढ़े, इसपे बहुत बहस है। बार बार कहा जा रहा है, महंगाई हो रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। उस सब के जवाब में सरकार ने जो चार साल में किया है, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसमें तमाम बाधाएँ डाली गयी, हमें रोकने की कोशिश की गयी, लेकिन दिल्ली के एक आम मजदूर के लिए सरकार लड़ी और इसका नतीजा है कि दिल्ली में आज हर कामगार की न्यूनतम मजदूरी साढ़े नौ हजार से बढ़ा के 14 हजार रुपये हो गयी है। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश और नोएडा में आज कामगारों को न्यूनतम मजदूरी साढ़े सात हजार और साढ़े आठ हजार रुपये के करीब मिलती है। इसी तरह दिल्ली के स्कूलों में काम कर रहे गैस्ट टीचर्स की तनख्वाह भी साढ़े 22 हजार रुपये से बढ़ाकर 36 हजार रुपये तक की गयी। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों का मानदेय भी पाँच हजार रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये करीब और दो हजार रुपये से बढ़ाकर करीब पाँच हजार रुपये किया गया।

आशा वर्कर का इंसेंटिव भी 1500 रुपये से बढ़ा कर तीन हजार रुपये किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके दो फायदे हैं। एक तो गरीब और उपेक्षित लोगों को अपना परिवार सम्मान से चलाने के लिए आवश्यक पैसा मिल सके, ये सब चाहे आशा वर्कर हों, आँगनवाड़ी वर्कर हों, गैस्ट टीचर्स हों। दूसरा यह है कि इनको अहसास हो सके कि वो भी दिल्ली सरकार के अहम हिस्से हैं। कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को अगर ठीक से वेतन नहीं देगी, उनका ध्यान नहीं रखेगी तो फिर वो मन से कैसे काम करेंगे? इसके अलावा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन 1500 रुपये से बढ़ा कर ढाई हजार रुपये प्रतिमाह की गयी है। ये सब ऐसे कदम हैं जिनमें से कई का जिक्र तो मेनिफेस्टो में भी नहीं था, अध्यक्ष महोदय। मेनिफेस्टो में किए गए वादों से बढ़ कर ये कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली के दलित समाज के वास्तविक उत्थान के लिए कई ऐसे कार्यक्रम किए जिनका सीधा सकारात्मक असर उनके परिवार और उनके जीवन जीने की गरिमा पे पड़ रहा है। हमारा मानना है कि दलितों का सम्मान इसमें नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जाके उनके पैरों में बैठ जाएँ। बल्कि दलितों का सम्मान अध्यक्ष महोदय, इसमें है कि दलितों को अपने साथ लेके चलें, उनका अपने पैरों पे चलना सुनिश्चित कर सकें।

इसमें दलितों का सम्मान है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना' इसी का एक हिस्सा है। सीवर सफाई का मशीनीकरण और सफाई कर्मचारियों को एँटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देना उसी क्रम में हिस्सा है। पैर धोने से दलित खड़ा नहीं हो पाएगा, दलितों को उसके दम पे खड़ा करना पड़ेगा, अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। अपने और उसके बीच का भेद मिटाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं जो पिछले चार साल में शुरू किए गए और सफल हुए हैं। इसके साथ ही छठ पूजा, कांवड़ उत्तरैणी की तर्ज पर अम्बेडकर जयंती, वाल्मीकि जयंती और रविदास जयंती जैसे पर्व मनाने की परंपरा शुरू की गयी है। इससे सभी समाजों के लोग एकजुट हो कर आगे बढ़ते हैं और उसमें योगदान देते हैं।

अनाधिकृत और स्लम कालोनियों की याद सरकारों को आम तौर पर चुनाव से पहले आती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अनऑथोराइज कालोनीज, स्लम और पुनर्वास बस्तियों में रह रहे 60 प्रतिशत दिल्लीवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पिछले चार साल में लगातार कोशिश की हैं, प्रयास किए हैं। हमने ये बीड़ा उठाया है कि दिल्ली की हर अनऑथोराइज कालोनी और हरेक स्लम बस्ती की सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केन्द्र, शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं से इन सबको लैस कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले चार साल में इस दिशा में काफी प्रगति की है और मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि केवल पाँच साल

के कार्यकाल में, अभी चार साल हो गये हैं और एक साल और है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि केवल पाँच साल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार दिल्ली की हर अनऑथोराइज कालोनी, हर स्लम बस्ती में ये सुविधाएँ उपलब्ध करा देगी। हमारा प्रोग्राम इसमें पूरा चल रहा है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो केवल पाँच साल के कार्यकाल में पूरे हो रहे हैं।

इसके साथ ही पिछले चार साल में 1337 अनाधिकृत कालोनियों में वाटर सप्लाई की लाईंस बिछाना, 345 कालोनियों में सीवेज नेटवर्क पहले प्रदान किया जा चुका है और 355 में ये कार्य प्रगति पर है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के मामले में पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट आफ डेट 4 जून, 2009 से बढ़ा कर 1 जनवरी, 2015 किए जाने से पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी जे.जे. बस्ती के करीब 90 फीसदी रिहायशियों को उनके वहाँ रहने वालों को एक फ्लैट पाने का हक मिल जाएगा। करीब 1600 परिवार पहले ही द्वारका और बपरौला में स्थानांतरित, झुग्गियों से किए जा चुके हैं। झुग्गीवासियों को घर देने की 'मुख्य मंत्री आवास योजना' का कार्य प्रगति पर है जिसका जिक्र मैं बजट प्रस्तावों में करूँगा।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग–अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय किया था। पिछले वर्ष मैंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की थी।

उप राज्यपाल साहब के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण इन कार्यों में कुछ देरी हुई लेकिन फिर भी मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब ये काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के गाँव और दिल्ली के किसान दिल्ली को एक अलग पहचान दिलाते हैं। इतिहास गवाह है कि दिल्ली की हर छोटी बड़ी कालोनी गाँवों की जमीन पर बसाई गयी हैं लेकिन जब विकास की बात होती है या वेल्फेयर स्कीम्स की बात होती है तो गाँव और किसान दोनों पीछे छूट जाते हैं। हमारी सरकार ने पहली बार दिल्ली के सभी गाँवों को ग्राम विकास बोर्ड के दायरे में लाने की पहल की और हर गाँव के विकास के लिए दो करोड़ रुपये की राशि आबंटित की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने जा रही है जो देश में कभी नहीं हुआ। देश में पहली बार होगा कि कोई सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके फसल का दाम लागत का डेढ़ गुणा करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में हमने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने का वादा किया था। मैंने अपने पहले बजट में बहुत रिनॉउंड थिंकर हैं हेननिक पेनॉलोसा, उनकी एक मशहूर स्टेटमैंट का उल्लेख किया था, वो इस तरह है कि विकसित देश वो नहीं, जहाँ गरीबों के पास कार हो बल्कि विकसित देश वो हैं जहाँ अमीर भी सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल

करते हों। हमारी सरकार ने पिछले चार साल में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को भरोसेमंद सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसमें सबसे अहम है कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरूआत। अगस्त 2018 में कामन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया गया था और केवल पाँच महीने में 24 लाख से अधिक बार यात्रियों ने इस कार्ड का इस्तेमाल किया है; डीटीसी की और क्लस्टर बसेज में सफर करने के लिए। इसके साथ–साथ हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट योजनाओं की शुरूआत की है जैसे सभी सार्वजनिक बसों में जीपीएस लगाना, सीसीटीवी पैनिक बटन लगाना, सभी बसों का वैज्ञानिक तरीके से रूट रेशनलाइजेशन करना ताकि हर यात्री को ज्यादा से ज्यादा 500 मी. पैदल चल कर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके। आधुनिक बस टर्मिनल और शेल्टरों का निर्माण करना। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिशा में दिल्ली में ई–रिक्शा की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान करना और उन्हें 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देना महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। आज देर रात के समय भी कोई व्यक्ति अगर मैट्रो स्टेशन से उतर कर 2–4 किलोमीटर अपने घर दूर जाने के लिए जाता है तो वो मजबूर नहीं है पैदन जाने के लिए क्योंकि उसको हर जगह ई–रिक्शा उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, वाई फाई सेवा का वादा मेनिफेस्टो में किया गया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि विभिन्न मॉडल्स को अध्ययन करने के बाद दिल्लीवासियों के लिए ये सेवा अगले साल से शुरू हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख कर रहा था जो हमने 2015 में सरकार बनाने के अपने उद्देश्यों के रूप में मैनिफेस्टो की तरह जनता के सामने रखे थे लेकिन ऐसे और बहुत सारे कदम हैं जो मेनिफेस्टो में नहीं थे लेकिन सरकार ने जनता की जरूरत समझी, और उन पर पहल की। आज दिल्लीवासियों को उनका लाभ मिल रहा है। इनमें से कई के बारे में तो अन्य राज्यों की सरकारें और यहाँ तक की विदेशी सरकारें भी इनमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। इनमें सबसे अहम है सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी। अध्यक्ष महोदय, अभी तक दुनिया की सबसे हाईटेक और बेहतरीन सरकारें ये सुनिश्चित नहीं कर सकी हैं कि कोई नागरिक फोन करके सरकार को अपने घर में बुला ले। कोई आदमी फोन करे अपने सिटीजन को और घर में बुला ले, दुनिया की सबसे हाईटेक और सबसे एडवांस समझी जाने वाली सरकारों में भी ये अभी सुविधा नहीं है और सरकार को घर पे बुला के अपने डाकूमेंटस जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वाहनों के कागजात, जाति प्रमाण पत्र आदि, ये सब आय प्रमाण पत्र बनवा ले। हालांकि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों और कार्पोरेट हाउस ने लोन लेने से लेकर बैंकिंग, मार्केटिंग, गिफ्ट, पिज्जा डिलीवरी जैसी तमाम सेवाएँ घर बैठे डिलीवरी कराई हैं। लेकिन सरकार कहीं घर पे नहीं पहुँची। इसी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार ने ये अहम पहल की और आज 30 से ज्यादा सेवाएँ दिल्ली के नागरिकों की 1076 नंबर पर फोन करते ही मिल जाती हैं और जल्दी ही 100 सेवाएँ इसके दायरे में लाई

जाएँगी। ये डोर स्टेप डिलीवरी आफ होम सर्विसिस, डोर स्टेप डिलीवरी आफ गवर्नेंस दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है और दुनिया भर के मीडिया से लेके पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि डोर स्टैप डिलीवरी के जरिये सरकार की जो मंशा है वो बहुत इंपोर्टेंट है। एक तरफ सरकारों की कोशिश है कि लोगों के बेडरूम में घुस जायें, लोगों के किचन में घुस जायें। देखें, फ्रिज में क्या पका के रखा हुआ है। हम सरकार की, लोगों की सेवायें लेकर दरवाजे तक लेकर जा रहे हैं सरकार लोगों तक सेवा करने के लिए दरवाजे पर जाये, उनके किचन में और उनके बेडरूम में इंस्पेक्शन करने के लिए न जाये, ये हमारी मंशा है और यहाँ ये करके दिखाया है यहाँ पर दिल्ली सरकार ने।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हैप्पीनेस ऑन्त्रप्रेन्योरेशिप, पीटीएम; टीचर्स की ट्रेनिंग जैसे कई कदमों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। मेघा पीटीएम से जहाँ सामान्य अभिभावक भी अपने बच्चे के स्कूल से जुड़े हैं, वहीं हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के जरिये हम बच्चों को बेहत्तर नागरिक बनाने और खुशहाल जिंदगी देने में योग्यता दे रहे हैं। मैंने इस सदन में भी कई दफा जिक्र किया है कि देश में शिक्षा की जगह ह्यूमन रिर्सोज डेवलेपमैंट का काम करके हमने देश में बड़ी गलती की है। क्योंकि अपने बच्चों को हम खाली संसाधन के रूप में

विकसित नहीं कर सकते। हमें बेहतरीन इंसान और बेहत्तर नागरिक बनाने के लिए शिक्षा देनी है। केवल संसाधन बनाने के लिए शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा हैपीनेस केरीकुलम के जरिये हम ये कमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

हमारी सरकार यमुना नदी पर... ये भी इंपोर्टेंट है। 14 साल से प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज को पूरा करने में आखिरकार कामयाब हुई, ये पूर्वी और उत्तरी दिल्ली की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिक्षित लेकिन पिछली सरकारों द्वारा सबसे उपेक्षित जरूरतों में से थी। हमारी सरकार के दौरान भी इस ब्रिज के काम को रोकने की काफी कोशिश हुई। यहाँ तक कि एक बार तो मुझे फाइल पर लिखना पड़ा कि अगर इसी तरह की नुक्ताचीनी होती रही और फाइल इसी तरह इधर–उधर घूमती रही तो सिग्नेचर ब्रिज तो नहीं बनेगा फाइलों पर सिग्नेचर का ब्रिज जरूर बन जायेगा। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज अब पूरा हो गया है। और इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को दो से तीन घण्टा... आप भी उधर से घूम के आते होंगे, कई बार दो से तीन घण्टा समय रोजाना बच रहा है। बारापूला नाले पर ऐलिवेटिड सड़क का निर्माण पूरा हो गया। जवाहरलाल नेहरू स्टडियम से आईएनए मार्किट तक जाने वाली जो सड़क वहाँ बनाई गई वहाँ 25 मिनट का समय लोगों का बचने लगा है।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार के अलग अलग प्रयासों की वजह से दिल्ली

में एन्वायरन्मैंट की स्थिति काफी सुधरी है। पिछले सात–आठ साल के अगर डेटा को देखें तो 2015 की तुलना में पॉल्यूशन में पिछले दो साल में बीस परसेंट की गिरावट आई है। इसके लिए सरकार ने कई स्तर पर प्रयास किये। दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया जो 2015 की तुलना में 11 सौ हेक्टेयर बढ़ चुका है। ये सरकार के बड़े पैमाने पर चलाये गये वृक्षारोपण कार्यक्रमों के चलते संभव हुआ। 2018–19 जनवरी तक के दौरान 28 लाख पौधे रोपित किये गये। मैंने पिछले बजट भाषण में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की संख्या बढ़ाने के लिए कहा था। छः से बढाकर 26 करने का प्रस्ताव रखा था मैंने पिछले बजट में, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दिल्ली के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए 26 निगरानी केन्द्र स्थापति कर लिए गये हैं। पिछले साल हमारी सरकार ने इंडस्ट्रियल यूनिट को प्रदूषण रहित इंध ान के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा था। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 1467 यूनिटस में से 1297 यूनिटस ने पॉल्यूशन फ्यूल की जगह पीएनजी और सीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से इतने सारे प्रयास हुए हैं। इनकी वजह से आज बहुत... अब शोर तो मचेगा और मचना भी चाहिए जब तक पॉल्यूशन है लेकिन 20 परसेंट पॉल्यूशन कम करने में कामयाब रही है सरकार, ये एक उपलब्धि है।

एक और महत्वपूर्ण कार्य जो सरकार ने किया देश की कोई सरकार उस पर आगे नहीं बढ रही है। सरकारों के पास उपलब्ध दस्तावेजों को जनता को आसानी से उपलब्ध कराना, दिल्ली सरकार

के पास 200 साल पुराने दस्तावेजों, लैंड प्रोपर्टी से संबंधित करीब चार करोड़ पेपर्स थे। उनमें से दो करोड़ का डिजिटलाइजेशन सरकार करा चुकी है और उनको बहुत हाईटेक रिसर्च सुविधा के साथ टैग करके सरकार ने ऑन लाइन उपलब्ध करा दिया है। एक आम आदमी के प्वाईंट आफ व्यू से देखें तो ये कदम इसलिये जरूरी है क्योंकि लैंड और प्रोपर्टी से जुड़े हुए कागजात की जरूरत लोगों को रहती है और उसके लिए वो दफ्तरों की खाक छानते रहते हैं और उनको पुराने रिकॉर्डस हासिल करना एक तरह से नाईटमेयर है। लेकिन अब दिल्ली के आम लोगों को एक क्लिक और एक सर्च पर दो सौ साल पुराने तक रेन्ट प्रोपर्टी के डाक्यूमैंट उपलब्ध हैं। आने वाले समय में अवैध और अधोशित संपत्ति के काले धंधे को रोकने में भी मुझे उम्मीद है कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है, ये बहुत मददगार साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के तालाबों को ले के... जलाशयों को ले के बातें बहुत हुईं, कानून भी बहुत बने, अदालतों के आदेश भी आये लेकिन इनकी सुध नहीं ली गई। उसकी वजह साफ थी की नीति निर्माता नियंताओं की भूमि माफियाओं के साथ में साँठ–गाँठ रहती थी। हमारी सरकार ने पहल करते हुए इस साँठ–गाँठ को तोड़ा है और आज दिल्ली के तालाबों का सौंदर्य लौटना शुरू हो गया है। इस बारे में मैं आगे जिक्र करूँगा लेकिन ये भी एक ऐसा कार्य है जिसका उल्लेख मैं इसलिये यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैनिफेस्टो में ये चीजें नहीं थी। मेनिफेस्टो में जो लिखा, वो किया है लेकिन मेनिफेस्टो से

चार कदम आगे बढ़ के बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसका जिक्र, जिनकी परिकल्पना मैंनिफेस्टो के समय नहीं की गई थी। दिल्ली में इसी तरह से तमाम भाषाओं के लोग रहते हैं, तमाम राज्यों से आ के लोग रहते हैं और हर भाषा और हर संस्कृति के लोग... हम मानते हैं कि ये लगना चाहिए कि दिल्ली हमारा भी शहर है, भले ही वो संख्या में कितने ही कम हों। किसी दूर–दराज हिस्से से आकर बैठे हों, आखिरकार दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली के इसी राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने 15 नई ऐकेडमियों का गठन किया है। इसमें कश्मीरी से ले के मलयाली, गुजराती से लेकर असमिया भाषा तक की ऐकेडमियाँ शामिल हैं। सरकार कला और संस्कृति को दिल्ली के मंडी हाऊस या बड़े बड़े ऑडिटोरियम से निकालकर आम जनता के बीच लेकर गई है। पिछले वर्षों में दिल्ली की गली मोहल्लों में 'डांस फॉर डेमोक्रसी जैसे फैस्टीवल्स का आयोजन करके युवाओं को जोड़ा गया। दिल्ली की ग्रामीण पहचान को कला संस्कृति से जोड़ते हए मण्डावली उत्सव, शाहपुर जाट फेस्टिवल जैसे नये कार्यक्रम शुरू किये गये। अभी सौरभ जी हैं नहीं, लेकिन उनके यहाँ शाहपुर जाट का फेस्टिवल पहली बार हुआ और बहुत... पूरी साउथ दिल्ली में वो चाहे पॉश कालोनी में रहने वाले लोग हों, गाँव में हों, अनऑथोराईज में हों, वहाँ से पूरी जनता उमड़–उमड़ के वहाँ पर आई, इनके जरिये लाखों लोग अपने घर के आस–पास गीत–संगीत, आर्ट कल्चर के बेहतरीन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अभी तक जो कहा मैंने, मैनिफेस्टो में जो कहा, वो किया, मैनिफेस्टो में जो नहीं कहा था, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीजें कहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने मेनिफेस्टो में कहीं और हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं होने दी गई। मैं थोड़ा सा जिक्र उनका भी करना चाहूँगा चलते चलते... इनमें सबसे महत्वपूर्ण है; लोकपाल बिल। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ और हम इस संकल्प के साथ सत्ता में आये थे कि जब सरकारें जन लोकपाल कानून बनाने में आनाकानी कर रहीं हैं तो हम खुद दिल्ली में जन लोकपाल कानून बनायेंगे और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठीक वैसा कानून पास करेंगे जैसा आंदोलन के दौरान देश की जनता माँग रही थी। मुझे रेखांकित करते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने पहले ही साल में दिल्ली लोकपाल कानून के रूप में ठीक वैसा ही कानून पेश किया जैसा जनता माँग रही थी। उसे इस विधान सभा में भी पास कर दिया गया लेकिन दुःख की बात ये है कि वो पिछले साढ़े तीन साल से केन्द्र सरकार के पास में लटका पड़ा है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अलग–अलग डिपार्टमेंटस में कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले; स्टाफ हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको नियमित करने का वादा भी हमने अपने मेनिफेस्टो में किया था लेकिन दिल्ली के करीब एक लाख से ज्यादा युवा जो दिल्ली सरकार के अलग–अलग विभागों में ठेके पर काम कर रहे हैं, हम उनको रेगुलराइज करना चाहते हैं। क्योंकि उनका वाजिब हक है लेकिन एक साजिश के तहत और दिल्ली सरकार एक पूरी कॉन्स्प्रेसी

के तहत दिल्ली सरकार का सर्विसेज डिपार्टमैंट केन्द्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया और तब से लेकर अब तक इस पर कानूनी लड़ाई चल रही है। अगर दिल्ली सरकार के हाथ नहीं बाँधे गये होते तो अध्यक्ष महोदय, हम इन तमाम ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्की नौकरी दे चुके होते अब तक। अब समस्या ये है अध्यक्ष जी, टाँग अड़ाने वालों को समझाये कौन? हजारों लोगों की नौकरी ले रहे हैं, देश भक्ति की बात करते हैं ओर देश के लड़के लड़कियों को नौकरी नहीं लगने देते। देशभक्ति की बात करते हैं, देश में भ्रष्टाचार नहीं रूकने देते। देश भक्ति की बात करते हैं, देश में नई नौकरियाँ नहीं बनने देते। तो मैं अभी जिनका नारा लगा रहे थे उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि अपनी टाँगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए किया करो, दूसरों के मामले में टाँग अड़ाने के लिए मत किया करो।

यमुना नदी का सौंदर्यकरण अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक और परियोजना थी लेकिन डीडीए और सैन्ट्रल गर्वनमैंट के रवैये के चलते इस पर भी हम कोई काम आगे बढ़ा नहीं पाये ज्यादा। क्योंकि पिछले दो साल... हालांकि पिछले दो साल में लगातार इसमें बजट में हमने धनराशि की व्यवस्था की थी। अध्यक्ष जी, जब मैं मैनिफेस्टो की लिस्ट पढ रहा था तो उसमें सबसे लास्ट में मैंने जिक्र किया लेकिन सबसे इंपोर्टेंट चीज थी; दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। 1993 में जब दिल्ली में संविधान संशोधन के तहत चुनी हुई सरकार बननी शुरू हुई तब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए

था लेकिन उसके 25 साल बाद भी दिल्ली के लोग एक आधे–अधूरे राज्य के निवासी बने हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त है। दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से सरकारी कर्मचारियों को पेंन्शन मिलती... तनख्वाह मिलती है लेकिन जब लोगों के काम नहीं होते या उनको कोई परेशानी होती है तो जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं होता। दिल्ली प्रशासन–उप राज्यपाल–डीडीए–एमसीडी–केन्द्र सरकार, इन सबके बीच में जनता पिस गई है। इस मुददे को थोड़ा सा मैं डिटेल में सदन का ध्यान चाहूँगा क्योंकि पूर्ण राज्य का मतलब दिल्ली के मुख्य मंत्री, मंत्री या विधायक को ज्यादा पॉवर देने की बात नहीं है। इस सदन को ज्यादा पॉवर देने की मात्र बात नहीं है। दिल्ली के आम लोगों पर हो रहे अन्याय को रोकना पूर्ण राज्य की बात करना है। मैं इसलिये कह रहा हूँ, ये अन्याय है क्या? मैं एक छोटे से उदाहरण से अध्यक्ष महोदय, इसको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिये गुडगाँव में अगर किसी के घर में चोरी हो जाये या किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो तो वहाँ उनके पास में ऑप्शन है कि वो अपने एमएलए के पास जा सकते हैं। एमएलए नहीं सुने तो चुनी हुई सरकार के पास जा सकते हैं। यहाँ पर गुडगाँव से सटे हुए बसंत कुंज में आदमी कहाँ पर जाये, अगर पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही? कोई सरकारी सिस्टम में बैठा हुआ, कोई सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी बात नहीं सुन रहा, कोई ऑफिसर उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो कहाँ जाये? वो

प्रधान मंत्री के पास जाये। प्रधान मंत्री जी तो मुख्य मंत्री को समय नहीं देते मिलने के लिये। प्रधान मंत्री जी के पास कैसे जा सकता है दिल्ली का कोई नागरिक? तो ये एक डिसक्रीशन है जो दिल्ली के नागरिकों के साथ हो रहा है जब कि चुना हुआ मुख्य मंत्री चाहे वो हरियाणा में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली की जनता के बीच रहता है, लगातार रहता है। तो ये एक जरूरी है और पूर्ण राज्य इसलिये भी जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिल्ली के लोग नये स्कूल चाहते हैं, नये कॉलेज चाहते हैं, नये अस्पताल बनाने के लिए अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन उसके लिए जमीन देने का काम डीडीए करता है। अब डीडीए कुल मिला के केन्द्र सरकार का एक छोटा सा विभाग है। इतनी बड़ी केन्द्र सरकार के लिए छोटे से डीडीए की छोटी–छोटी योजनाओं को देखना उनके लिए संभव नहीं है। अब उनको कैसे ध्यान रहेगा कि बदरपुर में कौन सी जमीन देनी है; केन्द्र सरकार के रैडार में ही नहीं आयेगा, बदरपुर में कोई स्कूल बनना है वहाँ के स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे स्कूल की जमीन दें या मॉल बनवायें या बीजेपी का कार्यालय बनवायें। वो तो बीजेपी वालों की सुन लेंगे। जमीन तो देंगे नहीं, स्कूल बनाने के लिए। इसलिए अगर जमीन नहीं होगी तो दिल्ली के लोगों के लिए स्कूल कैसे बनेंगे? कॉलेज कैसे बनेंगे? अस्पताल कैसे बनेंगे? नये स्कूल अस्पतालों के साथ–साथ स्कूलों में टीचर्स की कमी हो। देखिये दूसरा पहलू देखिये, स्कूल बनाने के लिए जमीन चाहिए। उसमें प्रॉब्लम... पूर्ण राज्य की बात कर रहा हूँ। टीचर्स की कमी हो,

हॉस्पिटल में डाक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो तो दिल्ली के लोग तो अपनी चुनी हुई सरकार से कहेंगे भई, यहाँ हास्पिटल में डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है। लेकिन पूर्ण राज्य न होने के कारण इसका फैसला केन्द्र सरकार लेगी। कि हम यहाँ डाक्टर देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ देंगे कि नहीं देंगे। कैसे टीचर्स होंगे, कितने टीचर्स होंगे, टीचर्स के खाली पद भरे जायेंगे कि नहीं भरे जायेंगे। ये सारे फैसले केन्द्र सरकार करेगी। अस्पतालों में लोग दवाई के कांउटर पे लंबी लाइन लगा के खड़े हों, दुखी हों लेकिन दूसरा कांउटर अलग खुलवाना है और दूसरा कांउटर खोलने के लिए एक नयी पोस्ट क्रिएट करनी है तो वो फैसला केन्द्र सरकार लेगी। ये अन्याय है दिल्ली वालों के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया। उनकी चुनी हुई सरकार दिल्ली नगर निगम को, दिल्ली को साफ–सुथरा रखने में बाध्य नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो हमारी सरकार इन्हीं नगर–निगमों से दिल्ली की एक एक गली को साफ सुथरा करके दिखवा देती। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा दिल्ली के लोगों को इस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि उनकी चुनी हुई सरकार जब उनके लिए कुछ नया और बेहद नया करना चाहती है तो उसकी फाइलें महीनों–महीनों तक उप राज्यपाल साहब लेके बैठे रहे। हालांकि 4 जुलाई के ऑर्डर के बाद उसमें बदलाव हुआ फिर भी डोर स्टेप डिलीवरी जैसी योजनाओं को अमल में लाने में सिर्फ पूर्ण राज्य न होने के कारण दो साल लगे। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत

घर की है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास जमीन नहीं है। अब लोगों को घर चाहिए, केन्द्र सरकार के पास इतने काम हैं कि दिल्ली के लोगों को घर देना उसमें प्राथमिकता हो ही नहीं सकती है।

अध्यक्ष महोदय अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो डीडीए के वो तमाम खाली प्लाट जिनपे भू–माफियाओं ने अधिकारियों की मिली भगत के साथ कब्जा कर रखा है, उन सब पर नये स्कूल, अस्पताल या घर बनाने का काम हमारी सरकार शुरू करा चुकी होती। अध्यक्ष महोदय पूर्ण राज्य न होने के कारण आज डीडीए मोहल्ला क्लीनिक के लिए जमीन देने को भी तैयार नहीं होता। जब कि दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लीनिक चाहते हैं। दिल्ली की पब्लिक को ट्रांसपोर्ट के लिए बस चाहिए। इन बसों की पार्किंग के लिए अलग–अलग इलाकों में डिपो बनाने हैं। लेकिन पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण दिल्ली सरकार चाहकर भी इतने बस और डिपो नहीं बना सकती जितने आज चाहिए। आज से 10 साल बाद के लिए जरूरत है। पूर्ण राज्य न होने का एक नुकसान ये है कि दिल्ली के स्कूलों के लिए अगर आबंटित जमीन पर केन्द्र सरकार में बैठे हुई अपनी पार्टी, अपनी पार्टी का मुख्यालय बना लेना चाहती है तो वो तुरंत कर लेती है। लेकिन अगर स्कूल की जमीन पर पार्किंग माफिया को देना चाहती है तो दे देती है। लेकिन अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो हमारी सरकार पार्टियों के मुख्यालय और पार्किंग माफिया को हटवा के स्कूल बनवा रही होती उन जमीनों पे आज जहाँ पे पार्किंग माफिया

बैठा है या पार्टियों के कार्यालय खुल गये हैं। पूर्ण राज्य इसलिए चाहिए कि दिल्ली में नौकरियों की असीम संभावना है अध्यक्ष महोदय। यहाँ सर्विस सैक्टर है यहाँ पे अलग तरीके से ग्रोथ हो रही है। हमने दो दिन पहले इकोनोमिक सर्वे पेश किया उसमें भी बताया कि दिल्ली के लोगों की खूब आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन सरकार में और सरकारी संस्थाओं में अगर हम काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएँ तो और नौकरी निकल सकती हैं। लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार तो ये नौकरियाँ नहीं निकाल सकती क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है।

भ्रष्टाचार दिल्ली में आज भी निचले स्तर पर लोगों का शोषण कर रहा है। हमारी सरकार ने शुरूआती महीनों में एँटीक्रपशन ब्रांच के जरिये रिश्वत माँगने वालों के खिलाफ एक तगड़ी मुहिम चलायी थी। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना पोस्टिंग रख दिया था। इसका असर ये हुआ कि शुरूआती महीनों में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार रूका लेकिन केन्द्र सरकार ने साजिश के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करके अधिकारियों की ट्रांस्फर पोस्टिंग का अधिकारी दिल्ली सरकार से छीन के अपने अधीन ले लिया और एसीबी को भी दिल्ली से, दिल्ली सरकार से छीन के अपने अधीन कर लिया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो केन्द्र सरकार किसी भी हालत में ना तो हमारी सरकार से ट्रांस्फर पोस्टिंग का अधिकार छीन सकती थी और न एँटीक्रप्शन ब्रांच को छीन सकती थी। अगर पूर्ण राज्य होता तो हमारी सरकार के दौरान ऊपर से नीचे तक किसी की

हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई सरकार में बैठके रिश्वत माँग ले या भ्रष्टाचार कर ले।

लोकपाल का जिक्र मैंने किया अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो सरकार बनते ही दो महीने में दिल्ली में वैसा लोकपाल कानून बन चुका होता जिसके लिए देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। लोकपाल की तरह हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में मौहल्ला सभाओं की शुरूआत की थी लेकिन उप–राज्यपाल साहब के अड़ंगे के कारण इसे भी रोका गया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता आज मौहल्ला सभाओं का काम आगे बढ़ गया होता और उसके अनुभव के आधार पर दिल्ली में स्वराज कानून बन गया होता। मैं इसलिए भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहा था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंकड़े तो गवाह हैं। जैसे ही सरकार बनी थी, एसीबी हमारे पास में थी, ट्रांस्फर पोस्टिंग का पॉवर हमारे पास में थी, उसका डिटेल उठाकर देख लीजिए आप। मार्च, अप्रैल, अप्रैल 2015, मई 2015, अप्रैल, मई, जून 2015 में जब एसीबी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास थी। ट्रांस्फर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास था उस वक्त का टैक्स कलैक्शन उठाके देख लीजिए। उसकी जो ग्रोथ थी, वो 30–40–50 परसेंट तक थी। और जैसे ही एसीबी गई, जैसे ही ट्रांस्फर पोस्टिंग का अधिकार गया, आप देख लीजिए की टैक्स कलैक्शन में ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया और वो नीचे आ गया, डिप हो गया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इतना बड़ा डेटा ऐवीडेंस है ये कि जब ईमानदार सरकार ईमानदारी से ट्रांस्फर पोस्टिंग करती है। एसीबी

का सही इस्तेमाल करती है तो टैक्स कलैक्शन भी कैसे उठ सकता है। इससे बड़ा एवीडेंस क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पूर्ण राज्य के बारे में कहीं। छोटे–छोटे काम के लिए पूर्ण राज्य न होने की वजह से आज दिल्ली का एक आम नागरिक दोयम दर्जे का नागरिक बन गया है। दिल्ली के एक नागरिक के वोट की कीमत देश के किसी एक अन्य राज्य के वोट की कीमत से कम हो कैसे सकती है सवाल ये है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली की नागरिक के वोट से चुनी हुई सरकार वो सब नहीं कर सकती जो बाकी के राज्यों की सरकारें कर सकती हैं। ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्वांत के खिलाफ भी है। दिल्ली पूरी दुनिया में अकेली राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। यहाँ हर देश में एक राजधानी होती है, हर देश में एक शहर होता है जो उसकी राजधानी होती है। वाशिंगटन डीसी है, बीजिंग है, मॉस्को है, लंदन है, टोक्यो जैसे तमाम बड़े शहर हैं। ये अपने–अपने देशों की राजधानियाँ हैं। इन शहरों की अपनी सरकारें हैं। लेकिन किसी भी देश में वहाँ की सरकार अपनी राजधानी में रहने वाले नागरिकों के अधिकार में इतनी दुर्गति नहीं करती है, जितनी यहाँ कर रखी है भारत में। इन सब जगहों पर शहरों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए सिंगल अथोरिटी हैं। और तभी आज मॉस्को या जितने शहरों के मैंने नाम लिए, बीजिंग, मॉस्को, लंदन, टोक्यो जैसे शहर वहाँ सिंगल अथोरिटी है वहाँ लोग अपनी सरकार चुनते हैं वो ही सारे डिसिजन लेती है उनके पास पुलिस तक है अपनी। तो इसलिए पूर्ण राज्य का मैंने जिक्र किया कि जब

हम दिल्ली में बजट की बात करते हैं, दिल्ली में योजनाओं की बात करते हैं तो पूर्ण राज्य भी दिल्ली सरकार के मैनीफेस्टो में हमने शामिल किया था दिल्ली के मैनीफेस्टो में, दिल्ली के लिए चुनाव के मैनीफेस्टो में शामिल किया था। मैंने मैनीफेस्टो का जिक्र किया तो पूर्ण राज्य का जिक्र करना जरूरी था। लेकिन जैसे इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि पूर्ण राज्य की लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे लेकिन यहाँ जिक्र करने का जरूरी था क्योंकि ये लड़ाई अब हमने अपने हिस्से ली है। शिकायत सिर्फ इतनी है हालाँकि अब इसमें शिकायत भी क्या करें! लेकिन हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुज़रे थे यहाँ से, हम से पहले भी कई मुसाफिर गुज़रे थे यहाँ से, कम से कम रास्ते का पत्थर तो हटा जाते। अगर वो हटा दिया होता तो कम से कम जो चार साल में काम करने की स्पीड थी वो पाँच गुना स्पीड से काम हो गये होते।

खैर! अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो मैंने बात कही, वो इसलिए कही ताकि दिल्ली की चुनौतियों को समझा जा सके, उपलब्धियों को समझा जा सके। चार साल पहले बनी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और दिल्ली वासियों की सही जरूरत पर फोकस करते हुए दिल्ली को कहाँ लाया जा चुका है, कहाँ लाना संभव हुआ है, और किस दिशा में ले जा रही है, मैंने उसकी एक तस्वीर पेश की है। अपने बजट के अगले हिस्से में मैं एक, अगले एक साल में किये जाने वाले कार्यों और उन पर होने वाले खर्च का जिक्र तो करूँगा ही, साथ ही भावी दिल्ली की एक तस्वीर भी सदन के समक्ष रखूँगा।

जिसका सपना हर दिल्ली वासी के सपनों की दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं अगले हिस्से में बात रखूँगा कि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ रोजगार, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट, कला संस्कृति के एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में कैसे उभरेगी। दिल्ली की झुग्गियों, बस्तियों और अधिकृत कालोनियों, गाँवों और अन्य मध्यवर्गीय कालोनियों वासियों का जीवन कैसा होगा। साथ ही गरीबों को उपेक्षित समाज से लेकर मिडिल क्लास दिल्ली के लोगों के जीवन में गरिमा लाने और उनके सपनों को ये शहर कैसे साकार करेगा, इसका जिक्र मैं अपने बजट के अगले हिस्से में करूँगा। इसमें मॉडर्न तकनीक से लेकर जनता की भागीदारी तक कैसे सुनिश्चित की जायेगी, इसका खाका मैं बजट के अगले हिस्से में रखूँगा।

अध्यक्ष महोदय, पूर्ण राज्य न होने के बावजूद दिल्ली के अर्थव्यवस्था के कुछ आँकड़े आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक प्रदर्शक के रूप में रखना चाहता हूँ। 2018–19 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 12.98 परसेंट की वृद्धि दर्ज से पिछले वित्त वर्ष के छः करोड़ 6 लाख 90 हजार 98 करोड़ रुपये से बढ़कर 7 लाख 69 हजार 652 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था का वर्ष 2018–19 में 8.61 परसेंट की वृद्धि से विकसित होने का अनुमान है जब कि अर्थव्यवस्था की अखिल भारतीय वृद्धि दर 7.2 परसेंट है। 7.2 नेशनल है, 8.61 दिल्ली की है। पिछले चार साल में जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि

8.92 रही है जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक आधारों का एक सबूत है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2018–19 में बढ़कर 3 लाख 65 हजार 529 रुपये वार्षिक रहने का अनुमान है। इसमें 17–18 की औसत प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 28 हजार 985 रुपये की तुलना में 11 परसेंट की बढ़ोत्तरी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में। हमारी सरकार के 2015–16 में सत्ता में आने के बाद से प्रति व्यक्ति आय में 34 परसेंट की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुनी है इसका जिक्र मैं सर्वे में भी कर चुका हूँ। 2018–19 में प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय 1 लाख 25 हजार 397 रुपये आँकी गई थी तो राष्ट्रीय स्तर पे 1 लाख 25 हजार है। दिल्ली में 3 लाख 65 हजार वार्षिक है। लगभग–लगभग। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2014–15 में 3.97 प्रतिशत से वर्ष 2018–19 में 4.14 परसेंट हो गया जबकि हमारी आबादी कुल जनसंख्या का केवल 1.4 परसेंट ही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2018–19 के लिए संशोधित अनुमान सदन में रखना चाहता हूँ।

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 50,200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है जब कि स्वीकृत बजट अनुमान 53,000 करोड़ रुपये का था। 50,200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 17–18 में व्यय की गई 40,927 करोड़ की राशि से 22.66 परसेंट अधिक है। 50,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित संशोधित अनुमान में

39,894 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए और 10,306 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के तहत है। 2018—19 में पूँजीगत व्यय 9,908 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 10,306 करोड़ रुपये हो गया है, जो विकास कार्यों और अधिक परिसम्पत्तियां सृजित करने में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्धताएँ बजट अनुमान में स्वीकृत 31,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 32,000 करोड़ रुपये हो गई हैं। यह मुख्य रूप से 5 वें वित्त आयोग की, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण हुआ है, जिसमें 2016—17 में लोकल बॉडिज के लिए फाइनेन्सियल असिस्टैंस की व्यवस्था है। पूर्वी और उत्तरी एमसीडीज के लिए 2016—17 की बकाया राशि को भी 2018—19 के संशोधित अनुमान में शामिल किया गया है। योजनाओं के लिए बजट अनुमान में स्वीकृत 22,000 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान 18,200 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। 18,200 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान 17—18 में योजनाओं के तहत व्यय राशि 14,191 करोड़ रुपये से 28. 25 परसेंट अधिक है।

अध्यक्ष जी, कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए हमने बकाया ऋण को मार्च 2018 में 33,569 करोड़ रुपये पर सीमिति रखा है। हमारी सरकार आने पर दिल्ली का बकाया ऋण उस समय सकल घरेलू उत्पाद का 4.86 परसेंट है, जबकि 2014—15 में ये 6.57 परसेंट था, इसमें कमी आई है। दिल्ली का ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2018–19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक माँग के तहत 173,89,982 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं सदन से पूरक अनुदान माँगों के लिए अनुमोदन का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2019–20 के लिए बजट अनुमान पेश करता हूँ।

हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपये था। मैंने 37,750 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ जून 2015 में अपना पहला बजट पेश किया था। इसके बाद वर्ष दर वर्ष हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए नए कार्यक्रम, योजनाएँ और परियोजनाएँ शामिल कर अपने बजट में बढ़ोत्तरी की।

मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा सदन का कि 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो बजट था वो 30,940 करोड़ रुपये था, आज मैं अत्यंत हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि 2019–20 के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रस्ताव है, जो 2014–15 की राशि 30,940 करोड़ रुपये से लगभग दोगुणा है। ये देखना और जानना काफी सुखद है कि इन पाँच साल के दौरान योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजट में काफी बढ़ोत्तरी

की गई, जो विकास कार्यों और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

व्यय अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय 2015–16 के 19,218 से बढ़कर 2019–20 में 30,369 रुपये हो गया है। इसी से जो इकोनॉमी का बूम है, वो समझ में आता है कि एक आम आदमी पहले 19,218 रुपये खर्च करता था, अब वो 30,369 रुपये खर्च कर रहा है। इसी से मार्केट ग्रो हो रहा है। इसी से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ये जो दो दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें बताया गया कि आम आदमी की आय तीन गुणा बढ़ गई है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है, उसके खर्चें बढ़ रहे हैं, उसकी खर्च करने की सीमाएँ बढ़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, 60,000 करोड़ के बजट के आकलन में 33,000 करोड़ रुपये का स्थापना और अन्य अपरिहार्य व्यय और योजना, परियोजना और कार्यक्रमों पर 27,000 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। 2019–20 के लिए 60,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों में 44,781 करोड़ रुपये राजस्व के तहत, 15,219 करोड़ रुपये पूँजीगत व्यय के तहत है। 2018–19 के अनुमान में पूँजीगत व्यय 9,908 करोड़ रुपये और राजस्व के तहत 43,092 करोड़ रुपये था। बजट आकलन 2019–20 में पूँजीगत व्यय में 54 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है जब कि राजस्व व्यय में चार परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके

अतिरिक्त 2019–20 का प्रस्तावित पूँजीगत आबंटन 15,219 करोड़ रुपये है जो 2014–15 के 7,430 करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय का लगभग दो–गुणा है।

2019–20 के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट 2018–19 के 53,000 करोड़ रुपये के बजट आकलन से 13.21 परसेंट अधिक है।

2019–20 के लिए प्रस्तावित 60,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय में 42,500 करोड़ रुपये कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से, 325 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में से, 4,786 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से, 750 करोड़ रुपये पूँजीगत प्राप्तियों से, 3,000 करोड़ रुपये जीएसटी के तहत क्षतिपूर्ति से, 300 करोड़ रुपये एक्सटर्नल एडेड प्रोजैक्टस से, 2,558 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं से और केवल 534 करोड़ रुपये भारत सरकार से सहायता के अनुदान के रूप में है, बाकी शेष राषि अधिशेश से है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार का बजट स्व–वित्त पोषित बजट है और हमारे कुल बजट का 95 परसेंट हमारे अपने वित्तीय संसाधनों से आता है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय सहायता जो स्थानीय निकायों को जानी है उस पर काफी चर्चा होती है, संसद, सदन में भी काफी बहस होती है। हमारी सरकार ने पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को

अप्रैल 2016 से लागू करने का निर्णय किया है। इसी के अनुसार हमने बजट में स्थानीय निकायों को डिवोल्यूशन के लिए 4,575 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं, जो 2019–20 के लिए अनुमानित शुद्ध कर–संग्रह का 12.5 परसेंट है। इसमें स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए 2,331 करोड़ रुपये और अनिवार्य निधि के रूप में 2,244 करोड़ रुपये की बुनियादी कर दायित्व के रूप में है।

इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा एकबारगी पार्किंग शुल्क में 1805 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 2019–20 में कुल 6,380 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2019–20 के लिए प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं का जिक्र करूँगा।

सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र की बात रखूँगा पर उसके पहले कहना चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा को राजनीति की धुरी में लाना हमारी प्राथमिकता है। यही हमारी राजनीति है, मैं कहूँगा। कई बार लोग कहते हैं कि आप शिक्षा को लेकर राजनीति कर रहे हो। ''हाँ जी, शिक्षा को लेकर राजनीति कर रहे है। क्यों न करें?'' कोई मंदिर मस्जिद को लेकर कर रहा है, कोई धर्म को लेकर लोगों को आपस में लड़ाने को लेकर कर रहा है। हम एजुकेशन को लेकर कर रहे हैं राजनीति।

कई बार हमारे ऑफिसर्स को भी निर्देश दिए जाते हैं, इनको शिक्षा पर राजनीति मत करने देना। शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा को देश की राजनीति की धुरी में लाना चाहते हैं। ये हमारा कर्त्तव्य है, हमें लगता है। इसलिए मैं... और क्यों? क्योंकि जानबूझकर नस्लों को अशिक्षित रखना, ये एक साजिश रही है। एक–एक पीढ़ी को शिक्षित कर दिया गया तो वो सवाल पूछेगी, सवाल पूछेगी तो सही वोट देगी, सही डिसीजन लेगी, सही तरह से पूछ लेगी कि आपने हमारे टैक्स के पैसे का क्या किया? तो जानबूझकर नस्लों को अशिक्षित रखना एक सियासत का हिस्सा रहा है। उसी पर किसी ने लिखा है, मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ, ''ये सियासत अगर ज़हर देती तो निगाह में आ जाती, सो यूँ किया कि हमारी नस्लों को बेतालीम रख दिया।''

तो अध्यक्ष महोदय, ये कहते हुए मैं चार साल से शिक्षा पर जो काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए 2019–20 में जो योजनाएँ हैं, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा है और आगे भी रहेगी। जब तक दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की गारण्टी न मिल जाए तब तक शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता में रहेगी। राष्ट्र निर्माण का सबसे बुनियादी आधार शिक्षा है। मैं 2019–20 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए कुछ नई पहल प्रस्तावित कर रहा हूँ। पिछले चार साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स ट्रेनिंग के काम को जो गति मिली है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही हमारी सरकार अब एजुकेशन के उन

पहलुओं पर भी जोर देने जा रही है जिनसे सिर्फ दिल्ली और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा की दिशा और दशा तय होगी। पिछले साल 'हैप्पीनेस करीकुलम' की शुरूआत की गई थी, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्टस सामने आ रहे हैं। कई देशों के लोग इन प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में अगले साल हम 'एँटरप्रेन्योरशिप करीकुलम' लेकर आ रहे हैं। इसका मकसद हमारे छात्रों में वो आत्मविश्वास और योग्यता विकसित करना है जो उन्हें नौकरी ढूँढ़ने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना सके। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नौवीं से बारहवीं क्लास तक के करीब 7 लाख विद्यार्थियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों, कालेजों, पॉलीटैक्निक, आईटीआई और स्किल सेंटर्स के एक लाख छात्रों के लिए भी ये पाठ्यक्रम लागू होगा। इसके तहत ग्यारहवीं, बारहवीं कक्षा के छा़त्रों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा में पहले साल के छात्रों के लिए... सॉरी, इसके लिए 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में और टैक्निकल और हॉयर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडैंटस के लिए एँटरप्रेन्योरशिप सीड मनी का प्रस्ताव मैं इस बजट में रखता हूँ और इसके लिए 42 करोड़ रुपए मैंने शिक्षा बजट में प्रस्तावित किए हैं। इसमें से हर एक स्कूली छात्र को जो ग्यारहवीं और बारहवीं के हैं, एक–एक हजार रुपए प्रतिवर्ष और हॉयर एजूकेशन टैक्नीकल एजूकेशन के छात्रों को, पहले वर्ष के छात्रों को 5–5 हजार रुपए प्रति वर्ष सीड मनी के रूप में दिए जाएँगे। इस राशि का प्रयोग कर छात्र अपना बिजनेस प्लान डेवलेप करेंगे और उसे वास्तविकता

में अमल में लाकर उद्यमी होने का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्रों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडैंटस को कॉलेज में एक–एक हजार रुपए, 5–5 हजार रुपए की सीड मनी दे के हम उनके अंदर एक एँटरप्रेन्योरशिप स्किल्ड डेवलप करेंगे, माइंड सैट डेवलप करेंगे ताकि वो एजूकेशन के बाद नौकरी देने वाला बन सके। दिल्ली को एक स्टॉर्ट–अप केंद्र बनाने और यूनिवर्सिटी/कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को नए–नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु 11 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन इन्क्यूबेशन सेंटर्स में 96 उद्यमी कार्यरत हैं। दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में अगले वर्ष से एक और नया इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम ला रहे हैं। हम, फेमिली बिजनेस में एमबीए; एक नया पाठ्यक्रम ये लेके आ रहे हैं कि फैमिली बिजनेस में एमबीए इसमें देश के व्यापारी परिवारों के बच्चे अपने ही पारिवारिक बिजनेस से संबंधित प्रबंधन के गुर यहाँ इस मैनेजमैंट में सीखेंगे और उसको अपने फेमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएँगे। ये अपनी तरह का एक नया पाठ्यक्रम है। भविष्य में इसे दिल्ली सरकार के दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी शुरू किया जा सकेगा। इसी के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है, उन सभी शिक्षण संस्थानों को इसमें मैचिंग ग्रांट दी जाने की व्यवस्था है जो रिसर्च के लिए, उद्योग या किसी ओर रिसोर्स से धन जुटाते हैं इसमें ट्रिपल आईटीडी, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीटीडब्ल्यू जैसे संस्थान काफी आगे बढ़के इन्टरेस्ट ले रहे हैं।

दिल्ली में अध्यक्ष महोदय, अभी तक अप्लाइड साइंस कोर्सेज की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अप्लाइड साइंस, हम स्किल की बात तो करते हैं लेकिन स्किल से जुड़े हुए संस्थान जैसे आईटीआई, पॉलीटैक्नीक कोर्सिसेज इन सब में छात्रों की रूचि कम रहती है, उनको लगता है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है, ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। उनके मन में रहता है, हमें कॉलेज की पढ़ाई करनी है। दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज है जहाँ उन्होंने अपने स्किल कोर्सिज को, प्रोफेसनल टैक्नीकल कोर्सेज को आगे बढ़ा लिया है और वहाँ पर वो छात्र आईआईटी जैसे कोर्स करने में शर्म महसूस नहीं करता। ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई हेय काम हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, उसकी वजह है कि उन्होंने वहाँ पे प्रोफैशनल एप्लाइड प्रोफैशनलस की यूनिवर्सिटी खोली है, एप्लाईड साइंस की यूनिवर्सिटीज खोली हैं। इन्हीं कोर्सिसज को एप्लाइड साइंस में ट्रांस्लेट किया है उन्होने। तो आने वाले समय में रोजगार भी इसी में है लेकिन इस पर रिसर्च नहीं हो रही देश में, इस पर काम नहीं हो रहा, इसके फ्यूचरिस्ट एप्रोच लेके नहीं चल रही है सरकारें, इनका जो कोर्स है आईटीआई का, पॉलीटेक्निक का, वो आउटडेटिड हो जाता है, सबसे ब़ड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। तो इसके लिए अपलाइड साइंसिज के कोर्सेज को नई ऊँचाई देने के लिए दिल्ली सरकार एक नई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस की शुरूआत करेगी। इसमें विभिन्न ट्रेडस में व्यावसायिक शिक्षा हेतु तीन से बारह महीने के मॉड्यूलर प्रोग्राम, एक से दो साल के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री,

स्नातकोत्तर से लेके एमफिल और पीएचडी तक के प्रोग्राम होंगे। आप अपने बच्चे को आईटीआई में तब भेजेंगे जब आपको समझ में आता हो कि ये पीएचडी भी कर लेगा इसमें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है, रिसर्च में भी जा सकता है। अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा उधर नहीं जाएगा तो चाहे दिल्ली के सबसे थर्ड क्लास में भेजें लेकिन कॉलेज में भेजना चाहते हैं। उसका जवाब ये यूनिवर्सिटी ऑफ अपलाइड साइंस देगी। इसी प्रकार टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में रिसर्च और बड़े पैमाने पर प्रयोगों का अभाव है। सामान्यतः देश में बी.एड या एमए पाठ्यक्रम विभिन्न कोर्सेस चला रही यूनिवर्सिटी का एक कोर्स या डिपार्टमैंट रहते हैं, दिल्ली सरकार टीचर्स ट्रेनिंग में विशिष्ट गुणवत्ता के लिए नई टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी की शुरूआत करेगी।

अध्यक्ष जी, सरकार ने मौजूदा कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों के विस्तार के लिए कई योजनाएँ स्वीकृत की हैं जिसमें टीटीयू, आईजीडीटीयू, इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ईस्ट देहली कैंपस, इन सब में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होने के बाद इसमें 10 हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ने में कामयाब हो पाएगी। 12 हजार मैंने पहले जिक्र किया, 10 हजार इन प्रयासों से जुड़ जाएँगी। इसके अलावा जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का काम हो रहा है। वहाँ पर तीन हजार और सीटें जुड़ जाएँगी तो इस तरह से 12 हजार सीटें जोड़ चुके हैं। 15 हजार सीटें और जुड़ जाएँगी तो कुल मिला के 25 हजार एक ही कार्यकाल में इतना बड़ा विस्तार मुझे नहीं लगता कि

हॉयर और टैक्नोलोजी का विस्तार कहीं हुआ होगा कि एक पाँच साल के कार्यकाल में किसी सरकार ने 25 हजार बच्चों के लिए हॉयर एजूकेशन की, टैक्नीकल एजूकेशन की नई व्यवस्था कर दी हो। अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में नया इन्फ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की नैशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग का काम तो चल रहा है। स्कूलों में प्रधानाचार्यों की अध्यक्षता में काम कर रही एमएसएमसीज को और मजबूत करते हुए अब प्रति स्कूल पाँच से सात लाख रुपए की राशि हम स्कूलों को दे रहे हैं ताकि स्कूलों की बुनियादी जरूरत जैसे रख–रखाव, खेल–कला के संसाधन, रिसोर्स टीचर्स की सेवा लेने या टीचर्स की कमी होने पर फौरी तौर पर अस्थाई शिक्षक रखने का काम इस फंड से किया जा सके। इसमें ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल मैंने जिक्र किया कि किस तरह से टीचर्स की कमी है। तो यहाँ एसएमसी को फंड देके उनको ये पावर्स दी गई है कि वो 200 दिन के लिए टीचर्स हायर कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स और टीचर्स मिल के और पेरेंटस की जो एसएमसी है, वो 200 दिन के लिए टीचर्स हॉयर कर सकती है अगर टीचर्स की कमी है। आगामी फाइनेंसियल इयर्स से एक नया प्रोग्राम हम एसएमसी के जरिए लागू करना चाहते हैं इसके तहत एक से डेढ़ लाख रुपए तक का हर स्कूल को फंड दिया जाएगा और बहुत सारे टीचर्स हमारे बैस्ट टीचर्स हैं, वो हमेशा कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए फंड नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी सेलरी से वो प्रयोग कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह से पैसा खर्च करते हैं। तो जो प्रयोगधर्मी टीचर्स हैं,

वो कुछ नया करना चाहते हैं, अपने स्कूल में कोई नये प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक से डेढ़ लाख रुपए का फंड हर स्कूल को अलग से दे रहे हैं। इस बजट में मैं उसका प्रस्ताव कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ डिजिटल एज को, अपनी नैक्स्ट जनरेशन को, डिजिटल एज में तैयार करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों को टैब्लेटस उपलब्ध करा दिए हैं। अगला कदम विद्यार्थियों के हाथ में टैब्लेटस देने का है। इसके लिए हम एक डिजिटल लर्निंग स्कीम लेके आ रहे हैं। इसकी शुरूआत जो हमारे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, वहाँ से की जाएगी और प्रतिभा विकास विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 11 वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टैब्लेटस, सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 9 करोड़ रुपए राशि का मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। इसी तरह 10वीं के सभी स्कूलों में, 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में 80 परसेंट या उससे अधिक नम्बर्स लाने वाले स्टूडैंटस को 'प्रतिभा फैलोशिप कार्यक्रम' के तहत एक कम्प्यूटर टैब्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिभा स्कूल के सभी बच्चों को 11वीं, 12वीं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सभी बच्चों को 11वीं, 12वीं में और 11वीं के वो बच्चे जो 10वीं में 80 परसेंट से ऊपर लेके आए हैं, सबको इस तरह से दो स्कीमस में टैब्लेट उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा कला और संस्कृति में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 5000 और 10,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के उन विद्यार्थियों को उपकरण या परिधान की खरीद के लिए दी जाएगी, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव के लिए चुने जाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए 'मुख्य मंत्री छात्रवृत्ति योजना' के तहत कक्षा सात से 12वीं तक उन सभी विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रति विद्यार्थी की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने पिछले साल अपनी क्लास में 80 परसेंट या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को आगे लाना भी हमारा लक्ष्य है। इसके लिए परिवार की कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि की सभी स्टूडैंटस को, सातवीं से लेके.... यानी कि छठी के इग्जाम देने वाले से लेकर 12वीं तक के स्टूडैंटस जो 80 परसेंट से ऊपर लेके आते हैं, उनको ढ़ाई हजार रुपए प्रति विद्यार्थी वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुस्लिम और बौद्ध विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति दर बढ़ाकर 500 रुपए प्रति विद्यार्थी और नौवीं से 12वीं तक की 1000 रुपये कर दी गई है। पहले ये दर विभिन्न कक्षाओं के लिए 300 रुपए और 600 रुपए तक थी। इसमें माता–पिता की आय की सीमा दो लाख रुपए प्रति वर्ष बनी रहेगी, क्योंकि ये छात्रवृत्तियाँ आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के लिए थी।

सरकारी विद्यालयों में छात्रों को अंग्रेजी में बातचीत करने में दक्षता हासिल करने के लिए पिछले वर्ष 24 हजार छात्रों को इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज द्वारा इंग्लिश टीचिंग के कोर्से कराए गए थे इनकी सफलता, लोकप्रियता से प्रभावित होकर अगले साल 40 हजार स्टूडेंटस को अंग्रेजी में बातचीत की दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2019–20 में दो नए कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एक है; दिल्ली में कला केंद्र बनवाना, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई कला केंद्र नहीं है, दिल्ली का कला केंद्र बनवाना और दिल्ली में हर साल युवा महोत्सव का आयोजन करना। मैं कला और संस्कृति क्षेत्र के 2019–20 में 187 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, 2018–19 में इसके लिए 139 करोड़ रुपए दिए गए थे। वर्ष 2019–20 के लिए शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 15601 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ इसमें 13518 करोड़ रुपये राजस्व के तहत और 2083 करोड़ रुपए पूंजी व्यय के तहत शामिल हैं। 2019–20 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 7818 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 2019–20 में कुल बजट आबंटन का सबसे अधिक 26 परसेंट हिस्सा इसी क्षेत्र के लिए है। अभी तक ये रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय, कि लगातार पिछले चार साल से और अब पाँचवें साल भी दिल्ली सरकार का एजूकेशन का बजट 24–25 से 26 परसेंट रहा। अगले साल भी ये 26 परसेंट रहने जा रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की बात करूँगा। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ तीन स्तर पर मुहैया कराने की व्यवस्था की है। ये है – आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, मल्टी स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल। करीब 189 'आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक' खोले गए हैं और जून, 2019 तक 333 और नये क्लिनिक खुल जाएँगे। मौजूदा वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक लगभग 40 लाख लोगों को मोहल्ला क्लिनिक से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। हमारा लक्ष्य 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का है। इसी प्रकार 25 पॉलिक्लीनिक काम कर रहे हैं और नागरिकों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 94 अन्य औषधालयों को पॉलिक्लिनिक में बदला जा रहा है। 2019–20 में मोहल्ला क्लिनिक और पॉलिक्लिनिक के लिए 375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मैं करता हूँ। अस्पतालों में मौजूदा 10,000 बिस्तरों की संख्या दोगुनी कर 20,000 करने के लिए अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तरों का अस्पताल और बुराड़ी में 800 बिस्तरों का अस्पताल का निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। द्वारका में 1241 बिस्तरों का अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 963 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा आरटीआरएम अस्पताल, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, दीपचन्द बन्धु अस्पताल, भगवान महावीर अस्पताल, संजय गाँधी अस्पताल, डा. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल के पुनर्गठन कार्य को मंजूरी दे दी गई है। इन मौजूदा अस्पतालों को पुनर्गठन हेतु 2601 नए बिस्तरों की व्यवस्था होगी। नए अस्पताल के

निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के पुनर्गठन के लिए 588 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय, औषधालय और सरकारी अस्पतालों में आने वाले रोगियों के लिए निशुल्क दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। करीब 20 लाख रोगी इस योजना से हर महीने लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने दवाइयों की खरीद पर प्रति वर्ष पर एक वर्ष में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार ने मरीजों के मुफ्त दवाइयाँ, जाँच, सर्जरी इत्यादि में होने वाली समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए 1031 लाइन की भी शुरूआत की है। जिसकी निगरानी मुख्य मंत्री कार्यालय में होती है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले और आग से जलने वाले सभी लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की योजना शुरू की थी। इलाज कराने का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत तीन हजार से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाने वाले नेक इंसानों को 2000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन और 'सराहना प्रमाण पत्र' प्रदान किया जा रहा है। इस योजना पर 2019–20 में दो करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखता हूँ। हमारी सरकार ने हाई ऐण्ड रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे एमआरआई, सीटी स्केन, अल्ट्रासाउंड आदि की जाँच प्राइवेट संस्थानों में करानी की योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक एक लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त जाँच कराई जा चुकी है। 2019–20 में इन

योजनाओं पर 49 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखता हूँ। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में रैफर किए जाने पर 23 सूचीबद्ध निदान केन्द्रों में रेडियालॉजी संबंधी 11 परीक्षणों की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करा रही है। इसी प्रकार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों से रैफर किए जाने पर 48 अस्पतालों में 52 प्रकार की सर्जरी के लिए निशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्वी दिल्ली में भीड़—भाड़ वाले इलाकों की संकरी गलियों में कम से कम समय में पहुँच पाने के लिए फर्स्ट रेस्पोंडर व्हीकल ऑन मोटरसाइकिल यानी कि की—मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। जो प्रशिक्षित कर्मी और मोबाइल डेटा टर्मिनल जीपीएस उपकरणों से लैस होंगे। मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के दूसरे चरण का निर्माण कार्य मार्च—2019 तक पूरा हो जाएगा। इससे संस्थान में 25 नए बिस्तरों की क्षमता बढ़ेगी। दो नए पाठ्यक्रम दो वर्ष के दंत स्वास्थ्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्ष का दंत ऑपरेशन कक्ष सहायक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू करने का अगले वर्ष से प्रस्ताव है। सरकार के मादक पदार्थ रोकथाम विभाग ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने 386 दवा लाइसेंस रद्द किए हैं और नियम के उल्लंघन के दोषी पाए गए बिक्री पर सर्च दिसंबर—2018 तक उनके बंद कर दिए गए हैं। महोदय, मैं वर्ष 2019—20 में स्वास्थ्य पर 7485 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्ताव करता हूँ। इसमें 6642 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 1023 करोड़

रुपये पूँजीगत बजट शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3737 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वर्ष 2019–20 के लिए 3737 करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यव 2018–19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के 2576 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 45 परसेंट अधिक है। यानी कि लगभग डेढ़ गुणा राशि इसमें की जा रही है।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सरकार के प्रस्तावों पर अपनी बात रखूँगा। हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों, संकटग्रस्त महिलाओं जैसे असुरक्षित सामाजिक वर्गों और दिव्यांगजनों की गरीबी आय सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अभाव में जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों और असुरक्षित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गरिमापूर्ण जीवन बिताने में सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार ने बढ़ी दर पर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और जरूरतमंद व लक्षित लोगों तक पहुँचना सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जब फरवरी 2015 में हमारी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय केवल चार लाख 83 हजार लाभार्थियों को 'पेन्शन वित्तीय सहायता' मिल रही थी और इस पर सरकार का व्यय 837 करोड़ रुपये था। चार साल बाद इस मद में बजट आबंटन ढाई गुणा बढ़ाकर 2214 करोड़ रुपये कर दिया है और लगभग 7 लाख 60 हजार लाभार्थियों को इसमें लाभ मिल रहा है। कानूनन अपराध के दायरे में आने वाले बच्चे के खिलाफ मुकदमे के शीघ्र निपटान के

लिए तीन नए किशोर न्याय बोर्ड गठित किए गए हैं। इस प्रकार अब कुल छः किशोर न्याय बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत है। मैं वर्ष 2019–20 से लाडली योजना की तर्ज पर विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मदद के लिए सावधि जमा योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त दिव्यांग माता–पिता की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता की नई योजना वर्ष 2019–20 से शुरू की जाएगी। क्योंकि आमतौर पर जो गरीब हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दिव्यांग है, उनके पास भी रोजी–रोटी का साधन नहीं है लेकिन वो सोशल स्कीम्स में अभी तक नहीं आते थे। तो उनके लिए दिव्यांग माता–पिता की लड़कियों के विवाह के लिए एक नई योजना सरकार लेकर आएगी। दिव्यांग विद्यार्थियों की गतिशीलता यानी आने जाने की सुविधा के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए चलने–फिरने में असमर्थ विद्यार्थियों को स्कूटर और उनकी जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई मोटरचालित साइकिलों के मूल्य में उनको सब्सिडी दी जाएगी। दिव्यांग लोगों के लिए पुनर्वास और सहयोग सेवा संस्थान गठित किए जाने की नई योजना प्रस्तावित है। इसके अलावा भिखारियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्किल डेवलपमैंट और रिहेबिल्टेशन का एक नया कार्यक्रम अगले साल से शुरू किया जाएगा। हम दिल्ली के लामपुर में सेवा सदन परिसर में एक नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव करते हैं, जिससे आशा किरण परिसर की भीड़ कम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 'जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना' क्रियान्वित कर रही है। इसके तहत 10वीं/12वीं पास करने वाले या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिश्ठित निजी कोचिंग संस्थानों से कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में सक्षम हो सकें। वर्तमान समय में इस योजना के तहत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों से प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 4092 विद्यार्थियों को नामांकित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2019–20 में इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में यह 24 करोड़ रुपये थी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों से एक नई स्कीम है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहयोग/छात्रवृत्ति की एक अन्य योजना सरकार का प्रस्तावित है। मैं इस योजना के लिए अगले बजट में पाँच करोड़ रुपये रखे जाने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकारी स्कूलों में छठीं से दसवीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति/ जनजाति/पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नई 'अम्बेडकर पाठशाला योजना' के तहत सुधारात्मक... उनके अंदर जो पढ़ने की स्किल्स हैं रिफॉर्म के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक और योजना सोशल वेल्फेयर स्कीम के तहत ही उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों सहित दिल्ली बार एसोसिएशन ने बहुत अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर वकीलों के संघर्ष और पीड़ा को समझते हुए

और विशेष रूप से युवा वकीलों के कानूनी संघर्ष को देखते हुए हमारी सरकार ने 2019–20 के बजट में एडवोकेट वेल्फेयर फंड के तहत 50 करोड़ रुपये की निधि रखने का प्रस्ताव किया है। इस फंड का उपयोग जरूरतमंद वकीलों और उनके परिवारों के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे जीवन बीमा, मेडी क्लेम, पेन्शन, स्कॉलरशिप आदि के लिए किया जाएगा। ये दिल्ली की कानूनी समुदाय के लिए एक शानदार पहले है और देश भर में कानूनी पेशे के वेल्फेयर के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। यह भी अपने आप में एक ऐसी स्कीम है; वकीलों के वेलफेयर के लिए जो देश में कहीं नहीं है। सरकार इसमें 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत अंतर्गत 1382 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव है और सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3429 करोड़ रुपये के बजट का मैं कुल प्रस्ताव रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली में गरीब परिवारों को सस्ते राशन की व्यवस्था करती है। पूरे देश में ये व्यवस्था है और सब जानते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है। सरकार 'डोर स्टेप डिलीवरी' और सर्विसेज की योजना की तरह राशन की भी 'फ्रीम होम डिलीवरी' करना चाहती है। पिछले साल भी हमने इसका बजट रखा

था। अगले साल के लिए भी मैं इसका बजट रख रहा हूँ। इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है लेकिन भ्रष्ट ताकतों के चलते अफसरों से लेकर उप राज्यपाल साहब तक इसमें अड़ंगे लगा रहे हैं और किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हमारी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए दृढ संकल्पित है लेकिन जब तक यह योजना लागू नहीं हो जाती तब तक राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने राशन दुकानदारों का मार्जिन 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि गरीबों को पूरा राशन मिले और राशन चोरी बंद हो। 70 रुपये के रेट पर एक राशनवाला मुश्किल से 16000 रुपये प्रतिमाह तक कमा सकता था। जब कि उसका खर्चा ही कम से कम 15000 रुपये का होता है। ऐसे में सरकार ने उसकी समस्या को समझा है और उसे ईमानदारी से काम करने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आवास और शहरी विकास विभाग क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव सदन में रखता हूँ। सदन के सम्मानित सदस्यों ने लोगों के जीवन स्तर सुधार के लिए दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों, झुग्गी झोपड़ियों और पुनर्वास कालोनियों के विकास को लेकर समय–समय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हमारी सरकार इन कालोनियों के विकास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है। इनमें इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए

बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ जैसे सड़क, पानी निकासी की व्यवस्था, जलापूर्ति, सीवरेज, साफ–सफाई, स्ट्रीट लाइट का विकास शामिल है।

बजट अनुमान 2019–20 में अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज के लिए 600 करोड़ रुपये सहित कुल 1600 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

सस्ते मकान और कम कीमत के पक्के मकानों की उपलब्धता दिल्ली के निर्धन और निम्न मध्य वर्ग के लोगों की एक बड़ी समस्या है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 14 भवन निर्माण परियोजनाएँ पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर हैं। डूसिब, डीएसआईआईडीसी इन परियोजनाओं को पूरा कर रह है। इन परियोजनाओं को पूरा करने और निर्धन और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को 52,000 रिहायशी इकाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने डीएसआईआईडीसी को संशोधित अनुमान 2018–19 के तहत 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि इंस्टीट्यूट रिहैब्लिटेशन के तहत चार भवन निर्माण परियोजनाएँ डूसिब द्वारा शुरू की जाएँगी और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने संशोधित अनुमान 2018–19 में इस परियोजना के तहत 5310 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत 2018–19 से शहरी निकाय, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क और गलियों के विकास का काम शुरू किया है।

इस योजना के तहत राशि संबंधित स्थानीय निकायों/कार्यकारी योजनाओं एजेंसियों को स्थानीय विधायको की अनुशंसा के अनुरूप जारी की जाती है। 2019–20 के बजट में इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

महोदय, दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक के सहयोग से स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है। इसके लिए प्रति निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक सहयोग राशि चार करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये की गई है। यह वृद्धि इस मद में किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक वृद्धि है। इससे सम्मानित विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर ध्यान देने और कारगर ढंग से उन्हें पूरा करने का मौका मिलता है। 2019–20 में इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

डूसिब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था प्रदान करने का लगातार प्रयास कर रहा है। डूसिब ने 640 जन सुविधा परिसर निर्मित किए हैं। इसमें 20476 शौचालय सीट्स हैं। पहली जनवरी 2018 से इन सुविधाओं का उपयोग निःशुल्क कर दिया गया है। जन सुविधा परिसरों में साफ–सफाई रखने का जिम्मा आउटसोर्स कर नई एजेंसियों को सौंपा गया है। डूसिब का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है क्योंकि अब झुग्गी झोपड़ी बस्ती और विशेष रूप से महिलाओं को अपने निकट साफ सुरक्षित

शौचालय सुविधा उपलब्ध है। इसके परिणाम स्वरूप सभी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।

डूसिब कड़ाके की ठंड वाले महीनों में बेघर लोगों को 212 रैन बसेरों के जरिए निःशुल्क और समुचित आश्रय उपलब्ध कराता है। लगभग 17,595 लोगों को सुविधाजनक ढंग से रखने की सुविधा वाले इन रैन बसेरों में कम्बल, दरियाँ, जूट की चटाइयाँ, पीने का पानी/वाटर कूलर/वाटर डिस्पेंसर, बिजली कनेक्शन/एमरजेंसी लाइट/प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण भी उपलब्ध कराता है। गर्मियों में डेजर्ट कूलर उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि सर्दियों के लिए वाटर हीटर/गीजर आदि की उपलब्धता है। स्थायी रैन बसेरों में बेघर लोगों के मनोरंजन के लिए रंगीन टेलीविजन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

दिल्ली में बेघर लोगों के बचाव और मद्द के लिए बचाव दलों की तैनाती की गई है। बेघर लोगों का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। सर्दियों के दौरान नियंत्रण कक्ष सातों दिन चौबीसों घंटे काम करता है और हेल्पलाइन नंबर के जरिए इनसे संपर्क किया जा सकता है।

मैं 2019–20 में आवास और शहरी विकास के योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3,914 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित करता हूँ। ये पिछले साल के वर्तमान वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2,932 करोड़ रुपये से 33 प्रतिशत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, जलापूर्ति और स्वच्छता। मैंने शुरू में कहा था कि हमारी सरकार अब दिल्ली को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रही है। इसका आधार अब तैयार हो चुका है। दिल्ली में गंगा, यमुना और भूमिगत स्रोतों से मिलाकर कुल 900 एमजीडी पानी दिल्ली में उपलब्ध है। जबकि आज दिल्लीवासियों की जरूरत 1125 एमजीडी पानी की है। सरकार ने योजना बनायी है कि अगले कुछ साल में दिल्ली में पानी की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने लगेगी।

इस योजना के अध्यक्ष महोदय, तीन प्रमुख बिन्दु हैं। पहला यमुना में बरसात के दौरान आने वाले अतिरिक्त और बाढ़ के पानी को भूमिगत जलाशय बनाकर संग्रहित करना। जो यमुना में बाढ़ का पानी एक्स्ट्रा आता है, उसको स्टोर करना। दूसरा दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में बारिश के पानी को स्थानीय स्तर पर स्टोर करना और तीसरा सीवर के पानी को अलग–अलग क्षेत्रों में साफ करने के बाद स्थानीय तालाबों के माध्यम से संग्रहित करना। तो इस तरह से तीन टीयर इस योजना के हैं। जिससे पूरी दिल्ली पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकती है।

बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए पल्ला यमुना बाढ़ मैदान में 1000 एकड़ क्षेत्र में जलाशय का निर्माण और सीवर के साफ पानी के भंडारण के लिए नहरों के जीर्णोद्धार के लिए परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जो सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएँगी। इन परियोजनाओं के

लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा नजफगढ़, स्पलीमेंटरी, शाहदरा और संबद्ध संपर्क नालों का जीर्णोद्धार भी प्रक्रियाधीन है। भू–जल में सुधार के लिए सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के वर्ष 2019–20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का परिव्यय के साथ नालों के जीर्णोद्धार का एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहा हूँ।

2019–20 में तालाबों के पुररुद्धार संरक्षण और रख–रखाव की एक नई योजना प्रस्तावित है जो सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपये राशि प्रस्तावित है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रायोगिक परियोजना के तहत 159 मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है और पाँच नये जलाशयों के ऊपर काम किया जा रहा है। दिल्ली ये थ्री टियर का डिटेल्ड है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्षा जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है और भवन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ये एक अलग एन्फोर्समैंट का प्रोविजन है। 100 वर्गमीटर या उससे अधिक आकार के प्लॉट्स के लिए वर्शा जल संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। जल संरक्षण के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 स्क्वैयर मीटर या उससे अधिक आकार के प्लॉट्स के ऐसे उपभोक्ताओं को पानी के बिलों में 10 परसेंट की छूट दी जाएगी जिन्होंने रैन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉपर प्रणाली लगाई है। 500 मीटर से अधिक आकार के प्लॉट्स वाले उपभोक्ताओं के द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था न किए जाने की स्थिति में उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और पानी का बिल भी डेढ़ गुणा कर दिया जाएगा।

द्वारका में 50 एमजीडी क्षमता का नया जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इस संयंत्र के लिए कच्चे जल की व्यवस्था कोरोनेशन पिलर स्थित प्लांट से की जाएगी जिसे 12 किलोमीटर की ऊपरी धारा में प्रवाहित किया जाएगा। इन सब प्रयासों से करीब 246 एमजीडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने लगेगा और दिल्ली पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगेगी; 900 एमजीडी जो पहले से सोर्सेज हैं और 246 ये।

2000 करोड़ रुपये की लागत से चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के कमान क्षेत्र में जलापूर्ति सुधार परियोजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत 105 एमजीडी वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जा रहा है। इसी तरह से एक प्लांट 2200 करोड़ की लागत से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र के अन्तर्गत बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता 120 एमजीडी होगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली की 406 अनाधिकृत कालोनियों में पानी की पाइपलाइन पिछले चार साल में डाली गई हैं और 140 में यह काम चल रहा है। इसके साथ ही पानी को जहरीला होने से रोकने के लिए 2018–19 के दौरान 127 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति की पुरानी पाइप लाइन को बदला गया है।

कोरोनेशन पिलर पर 70 एमजीडी क्षमता के मल–जल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य और कोंडली, रिठाला और ओखला में मल जल उपचार संयंत्रों के जीर्णोद्धार/क्षमता संवर्द्धन का काम शुरू किया

गया है। इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में मल–जल उपचार क्षमता 607 एमजीडी से बढ़ाकर 707 एमजीडी करना है।

यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर की नई परियोजना का निर्माण कार्य 92 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है और करीब 110 एमजीडी मल जल को नालों में से यमुना में प्रवाहित होने से रोका जा चुका और अब उसे मल–जल उपचार संयंत्रों में उपचारित किया जा रहा है।

सीवर लाइनों की वहन क्षमता में सुधार के लिए करीब 167 परिधीय सीवर लाइनों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है जिसमें ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी अपनायी जा रही है। इससे पुरानी सीवर लाइनों की आयु 50 साल से अधिक बढ़ायी जा सकेगी। ये काम प्रगति पर है और इसमें 20 परसेंट का पूरा हो चुका है।

345 अनऑथोराइज कॉलोनी जिसमें... ये इंर्पोटेंट है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अनऑथोराइज कॉलोनीज का अभी तक दोहन हुआ, हर जगह राजनीति हुई। हर सरकार चुनाव से पहले कहती थी, हम अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे। जब रेगुलराइज करने की बारी आती थी तो रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं, वो पूछती थी, भई, अच्छा इस कॉलोनी को रेगुलराइज तो करें लेकिन इसमें सड़क है क्या? इसमें नाली है क्या? इसमें सीवर है क्या? इसमें सुविधाएँ हैं क्या? फिर कहते थे, नहीं है। बोले, फिर कैसे कर सकते हैं? सरकारें ये सुविधा नहीं देती थी। बोले रेगुलराइज नहीं हैं, इसलिए सुविधाएँ नहीं देंगी।

रेगुलराइज नहीं होंगी, क्योंकि सुविधाएँ नहीं हैं। तो इस तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा था और हर साल हर बार चुनाव से पहले फिर कहते थे रेगुलराइज करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। तो सरकार ने इन अनॉथराइज्ड कॉलोनिज में बहुत सघनता से पिछले वर्शों में काम किया और अलगे साल भी इस पर फोकस है इस सरकार का।

345 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर सुविधा प्रदान कर दी गई है। 355 कॉलोनियों में तत्संबंधी काम चल रहा है। पालम, बिजवासन, मटियाला, द्वारका, नजफगढ़, मुंडका, रिठाला और विकास पुरी विधान सभा क्षेत्रों में 162 कॉलोनियों में इंटरनल सीवर बिछाने का काम शुरू किया गया है और इसे विभिन्न चरणों में दिसम्बर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन कॉलोनियों से उत्सर्जित जल का उपचार निलोठी, द्वारका, रिठाला और नजफगढ़ स्थित मल–जल उपचार संयंत्रों में किया जाएगा। इन कार्यक्रमों से 13 लाख की आबादी को फायदा पहुचेगा।

ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ अभी तक मल–जल उपचार संयंत्रों का वर्तमान ढाँचा मौजूद नहीं है डिसेन्टरलाइज मल–जल उपचार संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। बुराड़ी, छतरपुर, बदरपुर, नरेला, जिन्दपुर, पल्ला, कंझावला, मुंडका, नजफगढ़ क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत मल–जल उपचार संयंत्र लगाए जाएँगे।

दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत यमुना नदी में पड़ने वाले नालों की व्यापक सफाई की जाएगी और अपशिष्ट जल, ठोस, कचरा गाद और रिसाव के

प्रबंधन के उपाय किए जाएँगे। जिसके लिए 2019–20 के बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मैं 2019–20 के बजट में दिल्ली जलबोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 2370 करोड़ रुपये और 20 किलो लीटर निशुल्क जीवन रेखा जल सब्सिडी योजना के लिए 476 करोड़ का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019–20 में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की विभिन्न योजना परियोजनों के क्रियान्वयन के लिए 215 करोड़ रुपये का अलग से प्रस्ताव करता हूँ।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़क इनफ्रास्ट्रक्चर पर बात करूँगा। सड़क इनफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जारी परियोजनाएँ पूरी करने के अलावा जो अभी चल रही हैं, उनके अलावा बजट अनुमान 2019–20 में कई योजनाएँ और भी प्रस्तावित हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएँ हैं। नजफगढ़ नाले के किनारे ढ़ांसा रेगूलेटर से द्वारका मोड़ तक 500 करोड़ रुपये की लागत से 25 किलोमीटर लंबी चार लेन की सड़क का निर्माण 2019–20 में शुरू हो जाएगा। रामपुरा, त्रिनगर, इंद्रलोक, कर्मपुरा में राष्ट्रीय राजधानी मार्ग–10 पर पुलों को 86 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ा करने का काम भी शुरू किया जाएगा।

303 करोड़ रुपये की लागत से शास्त्री पार्क और सीलमपुर

फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और अगले 18 महीने में इसके पूरा हो जाने की आशा है। इन फ्लाईओवरों से पूर्वी दिल्ली में सड़क बुनियादी ढ़ाँचा मजबूत होगा। परियोजना पूरी हो जाने के बाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट और शाहदरा के बीच यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। आश्रम चौक पर भीड़ कम करने और निर्बाध आवागमन के लिए 78 करोड़ रुपये की लागत से एक अंडरपास बनाया जाएगा। 38 करोड़ रुपये की लागत से वजीराबाद और जगतपुर के बीच हाफ अंडरपास और आउटर रिंग रोड पर गाँधी विहार के निकट पैदल पार पथ के लिए निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है और ये 2019–20 में पूरा हो जाएगा। इससे आउटर रिंगरोड और जगतपुर ब्रिज और गाँधी विहार के बीच संपर्क सुविधा बढ़ेगी।

2019–20 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपये की लागत से छः खंडों पर स्ट्रीट स्केपिंग का काम पूरा किया जाएगा। मेटकाफ हाउस, युसुफ सराय, अफ्रीका ऐवेन्यू, आली रोड, मथुरा रोड, हरकेश नगर, मथुरा रोड ओबेराय होटल पर छः फुटओवर ब्रिजेज के निर्माण के लिए मैं 29 करोड़, 40 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने का काम शुरू हो चुका है। बजट अनुमान 2019–20 में करीब 140000 सीसीटीवी कैमरे प्रति विधान सभा 2000 कैमरे के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान मैं रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विभिन्न परियोंजनाओं में क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2019–20 के बजट में 1900 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्ताव करता हूँ। यह 2018–19 में सड़क और परिवहन के संशोधित अनुमान से 73 प्रतिशत अधिक है। यह भी एक उल्लेखनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि शिक्षा पर बढ़ता है, स्वास्थ्य पर बढ़ता है और हम चार साल से लगातार देख रहे हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर शहर के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह से बढ़ रहा है ये 73 परसेंट इस पर बढ़ोत्तरी हो रही है। परिवहन विभाग में अध्यक्ष महोदय, मौजूदा समय में दिल्ली परिवहन निगम की 3882 बसें एनसीआर के 18 मार्गों सहित 557 रूट्स पर चल रही हैं। इनसे लगभग प्रतिदिन 31 लाख लोग यात्रा करते हैं। क्लस्टर बस योजना में 1789 बसें चल रही हैं इसमें 12 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। 2019–20 से डीटीसी के बेड़े में एक हजार नई बसें जोड़ी जाएँगी। इसके साथ–साथ क्लस्टर सेवा के तहत एक हजार स्टैण्डर्ड फ्लोर बसें सीएनजी बसें, एक हजार लो फ्लोर एसी सीएनजी बसें और एक हजार लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना शुरू किया जाएगा। इस तरह दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सरकार ने 4000 नई बसें सड़क पर लाने का काम शुरू कर दिया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले वित्त वर्ष से अलग– अलग चरण में ये योजनाएँ चलनी शुरू हो जाएँगी। हमारी सरकार ने घुम्मनहेड़ा, मुंडेला कलां, रोहिणी, पूर्वी विनोद नगर, बवाना और वीआईयू बुराड़ी में छः नये बस डिपो के निर्माण को स्वीकृति दी

है। ये डिपो अगले साल तक काम करने लगेंगे। दौराला, कापसहेड़ा, बामनोली, सराय कालेखां और नरेला में भी बस डिपो बनाये जाएँगे। इसके अतिरिक्त द्वारका सेक्टर–4, द्वारका सेक्टर–12, विकासपुरी और नरेला में भी नये बस टर्मिनलों का निर्माण होगा। नेहरू पैलेस, आजादपुर, नजफगढ़ और केन्द्रीय सचिवालयों स्थित बस टर्मिनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। मैं 2019–20 के बजट में बस डिपो और टर्मिनलों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली मैट्रो परियोजना के 6 कोरिडोर के 103.93 किलोमीटर लंबे चौथे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चौथे चरण के पूर्ण होने पर दिल्ली मैट्रो की कुल लंबाई 453.93 किलोमीटर हो जाएगी। मैं बजट 2019–20 में चौथे चरण की मैट्रो परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ और यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने जो कि सबसे ज्यादा चौथे चरण पर जोर कर रही थी, उसमें चौथे चरण के लिए कोई राशि नहीं रखी है लेकिन हमने इसके लिए गंभीरता दिखाते हुए... इसीलिए मैं उल्लेख करना चाहता हूँ; 500 करोड़ रुपये की राशि अपने शेयर में रखी है यहाँ पर और इसमें और जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा सकते हैं।

हमारी सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में जीपीएस आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की

गई है। इस प्रोजेक्ट की निविदाएँ आमंत्रित हो चुकी हैं। इसका टेंडर इवेल्यूशन कर जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के काम का अवार्ड दिया जाएगा। मैं बजट में इस परियोजना पर 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

बस यात्रियों को बदलते मौसम में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बस क्यू शेल्टर के निर्माण की नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था भी होगी। विभिन्न स्थानों पर 1397 बस क्यू शेल्टर बनाये जाएँगे। इसके लिए मैं बजट में 50 करोड़ रुपये का अलग से प्रस्ताव करता हूँ।

दिल्ली के भीतर पीएम 2.5 के लगभग 40 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए वाहन जिम्मेदार हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने दिल्ली में बिजली चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विद्युत वाहन नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत हमारी कोशिश रहेगी की 2023–24 तक नये वाहन पंजीकरण में 25 फीसदी की हिस्सेदारी बिजली चालित वाहनों की होने लगे। इसके लिए 2019–20 में राज्य विद्युत वाहन कोष बनाया जाएगा इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

इसके अलावा हमारी सरकार ने एन्वायरन्मैंट कंपनसेशन चार्ज फंड से भी 50 करोड़ रुपये राज्य विद्युत कोष के लिए चिन्हित किये हैं। 2019–20 में मैं सार्वजनिक परिवहन की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं

और कार्यक्रमों के लिए 1807 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो 2018–19 के संशोधित अनुमान से लगभग दो गुणा है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी इस बार राशि दो गुणा की जा रही है। ये भी महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण हम सबकी चिंता का विषय है, पूरी दिल्ली की चिंता का विषय है लेकिन जैसा मैंने पहले बताया डीपीसीसी द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार दिल्ली की हवा में पॉर्टिकुलेटेड मैटर कंसन्ट्रेशन में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। ये एक अच्छी खबर है। आँकड़े बताते हैं कि 2011 में हवा में पीएम–10 की मात्रा औसत 277 थी जो 2012 में बढ़कर 368 हुई इसके बाद से लगातार बढ़ती रही। 2018 में ये वापस 277 पर पहुँच गई है। इसी तरह पीएम 2.5 की मात्रा 2011 में 136 थी जो बढ़कर 164 हुई। साल 2018 में ये 128 दर्ज की गई। एक और प्रदूषणकारी तत्व ऐनॉक्स एनओ–2 2011 में इसकी मात्रा 71 थी जो अगले सालों में बढ़कर 90 तक पहुँची लेकिन 2018 में सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप ये 50 दर्ज की गई। इस तरह से 20 परसेंट ऐवरेज की कमी प्रदूषण में आई है।

सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ई–वाहन पालिसी को बढ़ाने, ग्रीन कवर बढ़ाने, पानी का छिड़काव करने, बदरपुर पॉवर प्लांट बंद करने जैसे कई कदम उठाये। जरूरत पड़ने पर ऑड–ईवन जैसी योजनाएँ भी लागू की गईं। दिल्ली को कीकर

फ्री बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। सरकार एक पेड़ कटने के बदले दस पेड़ नये और लगाने की योजना तो पहले से अमल में ला रही है लेकिन अब सरकार एक महत्वपूर्ण योजना लाने की तैयारी कर रही है इसके तहत किसी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे, उनमें से केवल अधिकतम 20 परसेंट पेड़ों को ही काटकर हटाने की अनुमति दी जाएगी। बाकी कम से कम 80 परसेंट पेड़ों को आधुनिक तकनीक के द्वारा ट्रांसप्लांट करना होगा। तो अभी तक जो प्रॉब्लम थी कि आप पेड़ काटिये, आप प्रोजेक्ट लगाइये। आप हजारों पेड़ काटने का प्रस्ताव लाइये और आप दिखा दीजिए। देखिए साहब, हमने हजार पेड़ काटने हैं, हमने दस हजार लगा दिये हैं अब उन दस हजार में से कितने आगे बढ़े हैं, कितने मरे हैं, कितने जिये हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। कोई उनकी लाइफ नहीं है। तो अब सरकार ने कर दिया है कि ये जो 10 गुणा पेड़ लगाने वाला है, ये तो ये सरकार स्कीम लाएगी कि ये तो सिर्फ 20 परसेंट अगर आपको हजार पेड़ काटने हैं तो 200 के बदले तो आपको दस गुणा लगाने हैं लेकिन 80 परसेंट पेड़ आपको लाइव ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। ये कड़ा लेकिन बेहद जरूरी कदम है और दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ ये नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बात चलते चलते पर्यटन पर भी करूँगा। हमारी सरकार ने दिल्ली के प्रवेश स्थलों के सौन्दर्यीकरण और प्रवेश द्वार बनाने की योजना तैयार की है। प्रवेश स्थलों के सौन्दर्यकरण से

दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों को एक सुखद अनुभूति होगी। पहले चरण में सौन्दर्यकरण के लिए गुरूग्राम बॉर्डर, टीकरी कलां बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर और कौशाम्बी के निकट आनंद विहार बॉर्डर में पाँच प्रवेश स्थलों की पहचान की गई है। दूसरे चरण में सात अन्य प्रवेश स्थल चुने जाएँगे। सौन्दर्यकरण और विशेष प्रवेश द्वार बनाने के कार्य के लिए मैं बजट में 25 करोड़ रुपये रखे जाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। हमारी सरकार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए यमुना नदी को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए विशेषकर सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को विकसित किये जाने का कार्यक्रम है। इस स्थल के आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पर्यटन स्थल का ये विकास पर्यावरण अनुकूल होगा। पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ और सूचना केन्द्र के अलावा सिग्नेचर ब्रिज के भ्रमण और दीर्घा के लिए गाइड सहित शटल सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यमुना नदी स्थल के विकास कार्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है। मैं 2019–20 में पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 49 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

इसके अलावा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं दिल्ली के लिए। आज किसान को कहने के लिए अन्नदाता कहा जाता है जिस पर हम सब लोगों की जिंदगी निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज देश में सबसे बडी संख्या में होने के बावजूद सबसे तकलीफ में किसान अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। बताते हैं कि जब अंग्रेजों

के राज में देश गुलाम था, तब भी किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं मिलती थी। लेकिन 21वीं सदी में जब देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, सरकारों की किसान विरोधी नीतियों ने किसानों को बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। परिस्थितियों के दबाव में उस समय की केन्द्र सरकार ने 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2006 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या और परेशानियों को रोकने का एक ही रास्ता है कि उनकी फसल का दाम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण उसकी लागत का डेढ़ गुणा करके किया जाए। केन्द्र की काँग्रेस सरकार चली गई, दोबारा बीजेपी की सरकार ने भी जोर शोर से वायदा किया लेकिन देश में आज तक किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। पहली बार दिल्ली सरकार देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने जा रही है जिससे वित्तीय सहायता के रूप में किसानों को मुहैया कराया जाएगा। मैं इस योजना के लिए 2019–20 के बजट में 100 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार एक नई योजना 'स्मार्ट कृषि योजना' आरम्भ करने जा रही है। इसके तहत किसानों को अधिक उपज और अधिक गुणवत्ता वाली कृषि फसलों के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में गांवों के बुनियाद के लिए मैं बजट अनुमान 2019–20 के

लिए चार सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूँ। 2018–19 के संशोधन अनुमान में यह 200 करोड़ था। मैं कृषि ग्रामीण विकास और सहयोगी सेवा क्षेत्र के लिए कुल 749 करोड़ प्रस्ताव करता हूँ। इसमें 564 करोड़ रुपये योजना परियोजना और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बजट भाषण का भाग–ख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मूल रूप से इसमें जीएसटी से आबकारी विभाग और उन सबसे सम्बन्धित आंकड़े हैं। बहुत सारी सूचनाएँ हैं जो बहुत टैक्निकल नेचर की हैं। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूँगा कि इस पूरे टेक्निकल भाग को जो भाग–ख कहलाता है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, मैं सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बजट के आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पिछले चार साल में शिक्षा से लेकर, रोड से लेकर ट्रांसपोर्ट, अनऑथोराइज्ड कालोनी सब में बहुत सघनता से काम किया है। बहुत सोच समझ कर बजट बनाकर दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को खर्च करने की योजनाएँ बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन किया है। मुझे खुशी है और गर्व है कि इस छठी विधान सभा में वित्त मंत्री के रूप में मुझे पाँचवी बार बजट पेश करने का अवसर मिला है और मैं उनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं मैं कह सकता हूँ कि छठी विधान सभा का आखिरी बजट सेशन भी है जिसमें हम बजट पेश कर रहे हैं, हमारी सरकार के लिए, इस सत्र के लिए। इस

सरकार के टेन्योर के लिए भी मैं तहे दिल से सभी मंत्री साथियों का, सभी विधायक साथियों का, दिल्ली का जितना भी आर्थिक विकास इस दौरान हुआ है, उनका सबका तहे दिल से बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सभी विधायक साथियों का, फाईनेंस और प्लानिंग डिपार्टमैंट और सभी डिपार्टमेंटस के अपने अधिकारियों की टीम का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ–साथ माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ जिनके नेतृत्व में हम सब दिल्ली के आर्थिक विकास को, दिल्ली के सामाजिक विकास को एक गति दे सके हैं। मैं अक्सर उनके बारे में कुछ न कुछ ऐसी चीजें... हम सब उनके नेतृत्व से अभिभूत रहते हैं लेकिन अपनी बात खत्म करते हुए उनको और इस बजट को और इस तमाम राजनीतिक इस तमाम योजना ये जो विजन है, इसको कहते हुए मैं कहना चाहूँगाः

मेरी ख्वाहिश है मेरी शायरी को तुम समझो,
आरजू ये है कि लोग वाह न करें, परवाह करें।

मैं इसी के साथ अपने बजट को इन्हीं शब्दों के साथ विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2019–20 के लिए डिमाण्ड फॉर ग्रांट्स प्रस्तुत करेंगे।

Hon'ble Dy.Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir I present the demands for grants for the financial year 2019-20.

माननीय अध्यक्षः इन अनुदान माँगों पर सदन में 28 फरवरी 2019 को विचार किया जाएगा।

अनुदानों की पूरक मांगे 2018–19

अब माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सप्लीमैंटरी डिमाण्ड पेश करेंगे।

Hon'ble Dy. Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I present Third & Final Batch of Supplementary Demands for Grants for the financial year 2018-2019 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन सप्लीमैण्टरी डिमाण्डस पर डिमाण्ड वाइज विचार करेगा।

डिमाण्ड नं. 3, (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस)

जिसमें रेवेन्यू में एक लाख हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमैण्टरी डिमाण्ड नं.– तीन पास हुई।

डिमाण्ड नं. पाँच (होम):

जिसमें रेवेन्यू में एक लाख और कैपिटल में दो करोड़ 51 लाख रुपये हैं, कुल राशि दो करोड़ 52 लाख रुपये सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमैण्टरी डिमाण्ड नं.–पाँच पास हुई।

डिमाण्ड नं. छः (एजुकेशन)

जिसमें रेवेन्यू में 11 लाख और कैपिटल में एक लाख रुपये हैं, कुल राशि 12 लाख रुपये सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमाण्ड नं–छः पास हुई।

डिमाण्ड नं. सात (मेडिकल ऐण्ड पब्लिक हेल्थ)

जिसमें रेवेन्यू में एक अरब आठ करोड़ 63 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमाण्ड नं.–सात पास हुई।

डिमाण्ड नं. आठ सोशल वेल्फेयर

जिसमें रेवेन्यू में 99 करोड़ 10 लाख रुपये और कैपिटल में एक लाख रुपये हैं, कुल राशि 99 करोड़ 11 लाख रूपये है, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमाण्ड नं. 8 पास हुई।

डिमाण्ड नं. 9 (इण्डस्ट्रीज)

जिसमें रेवेन्यू में 32 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं. 9 पास हुई।

डिमाण्ड नं. 10 (डेवलपमैंट)

जिसमें रेवेन्यू में पाँच लाख रुपये और कैपिटल में एक लाख रुपये हैं, कुल राशि छः लाख रूपये है, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं.–10 पास हुई।

डिमाण्ड नं. 11 (अर्बन डेवलपमैंट ऐण्ड पब्लिक वर्क्स)

जिसमें रेवेन्यू में एक अरब 88 करोड़ 27 लाख रुपये और कैपिटल में एक लाख रुपये हैं, कुल राशि एक अरब 88 करोड़ 28 लाख रूपये है, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 03 अरब 96 करोड़ 18 लाख 32 हज़ार रुपये एवं कैपिटल में दो करोड़ 55 लाख रुपये अर्थात् कुल राशि तीन अरब 98 करोड़ 73 लाख 32 हज़ार की सप्लीमेंटरी डिमाण्डस को मंजूरी दे दी है।

Appropriation (No.1) Bill, 2019

(Bill No. 01 of 2019)

अब माननीय उप मुख्य मंत्री Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019) को House में Introduce करने की Permission माँगेंगे।

Hon'ble Dy.Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019) to the House.

माननीय अध्यक्षः उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्य मंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

Hon'ble Dy. Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019) to the House.

अब विधेयक पर खंडवार विचार

मानीय अध्यक्षः अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व शेड्यूल बिल का अंग बनें;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

खण्ड–2, खण्ड–3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड– एक, प्रस्तावना और शीर्षक बिल का अंग बनें;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड– एक, प्रस्तावना एवं शीर्षक बिल का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019) को पास किया जाये।

Dy. Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019)

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

Appropriation (No.1) Bill, 2019 (Bill No. 01 of 2019) पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने बजट में दिल्ली विधान सभा के कंप्यूटरीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये तथा दिल्ली विधान सभा अनुसंधान केन्द्र के लिए 14.5 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कंप्यूटरीकरण के लिए पिछले चार वर्षों से हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रहे थे। बजट में उनके प्रोविजन था लेकिन उन्होंने हमारी माँग को स्वीकार नहीं किया। अंततः ये निर्णय कि दिल्ली सरकार स्वयंमेव में इस विधान सभा को पेपरलेस करे, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृति दी जिसके लिए 20 करोड़ रुपये रिजर्व किए गए। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

ये दोनों परियोजनाएँ सदस्यों को अपने सांविधानिक कर्त्तव्यों का और अधिक कुशलतापूर्वक निवर्हन करने में सहायक सिद्ध होंगी तथा

दिल्ली विधान सभा आदर संविधान मंडल बन सकेगा, ये कदम दिल्लीवासियों के लिए भी सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली कुशल और पारदर्शी बनेगी तथा विभिन्न योजनाओं की सही ढंग से मॉनिटरिंग हो पाएगी। एक बार फिर माननीय उप मुख्य मंत्री जी तथा दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में दोपहर का भोजन माननीय वित्त मंत्री जी के सौजन्य से विधान सभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य और पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं।

अब सदन की कार्यवाही 27 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 27 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।